पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–7] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 फरवरी, 2006 ई0 (फाल्गुन 06, 1927 शक सम्वत्) [संख्या–08

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	81–108	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया		1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	3–23	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	5–6	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

विज्ञप्ति

23 जनवरी, 2006 ई०

संख्या 705/X–2–2005–20(1)/2005–राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा 76 के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में विद्यमान विज्ञप्ति संख्या 3155/1–वग्रा०वि०/2001–8(15)/2001, दिनांक 03–07–2001 (उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली, 2001) तथा अधिसूचना संख्या 7807/1–वग्रा०वि०/2001–10(5)/2001, दिनांक 26–12–2001 (उत्तरांचल ग्राम वन संयुक्त प्रबंध नियमावली, 2001) का अतिक्रमण करके निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली, 2005

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

(क) यह नियमावली, उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली, 2005 कही जायेगी।

(ख) यह नियमावली सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगी।

(ग) यह सरकारी गजट में इसके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएं :

जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) 'अधिनियम' का अर्थ उत्तरांचल में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) से है;

(ख) 'जिलाधिकारी' से तात्पर्य जनपद के कलेक्टर से है जिसमें राज्य सरकार द्वारा जनपद के कलेक्टर के अधीन इस निमित्त कार्य करने के लिए नियुक्त अन्य अधिकारी सम्मिलित हैं;

(ग) 'आयुक्त', 'जिलाधिकारी', 'परगना मजिस्ट्रेट', 'पटवारी', 'वन संरक्षक', 'प्रभागीय वनाधिकारी', 'उप प्रभागीय वनाधिकारी/सहायक वन संरक्षक', 'वन क्षेत्राधिकारी', 'उप वन क्षेत्राधिकारी', 'वन दरोगा' ('फारेस्टर'), 'वन आरक्षी' ('वन रक्षक'), 'सरपंच' एवं 'वन पंचायत प्रबन्धन समिति के सदस्य' का तात्पर्य क्रमशः किसी ऐसे पदधारक से है, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत ग्राम वन/पंचायती वन पड़ता हो;

(घ) 'सरपंच' का तात्पर्य ग्राम स्तर पर गठित संचालन समिति के अध्यक्ष से है;

(ङ) 'क्षेत्रीय समन्वयक' तथा 'जिला समन्वयक' का तात्पर्य क्रमशः क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले प्रबन्धन समितियों के सरपंचों द्वारा तथा जनपद स्तर पर जिला परामर्शदात्री समिति के क्षेत्रीय समन्वयकों के द्वारा चयनित ऐसे पदधारकों से है;

(च) 'संहत प्रबन्ध योजना' का तात्पर्य ऐसी योजना से है जो प्रभागीय वनाधिकारी की अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम वनों/पंचायती वनों के लिये वन वर्धन एवं निरन्तर विकास के सिद्धान्त पर 6 वर्ष के लिए बनाई गई हो। यह योजना एकल अभिलेख के रूप में दो या अधिक खण्डों में होगी और इसमें ग्राम वनों/पंचायती वनों का सामान्य विवरण तथा सूक्ष्म योजना को बनाने तथा किसी ग्राम वन की सुरक्षा तथा प्रबन्धन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त होंगे;

(छ) 'वन अधिकारी', 'वन अपराध', 'वन उपज', 'पशु' तथा 'वृक्ष' के वही अर्थ होंगे जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 में उनके लिये दिये गये हैं;

(ज) 'पंचायती वन (ग्राम वन) प्रबन्धन समिति' अथवा 'वन पंचायत', जिसे आगे प्रबन्धन समिति कहा गया है, का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन ग्राम वन के प्रबन्ध के लिए गठित प्रबन्धन समिति से है और इनमें वे ग्राम वन व पंचायती वन भी सम्मिलित हैं जो इस नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व पंचायत वन नियमावली, 1931 अथवा वन पंचायत नियमावली, 1976 अथवा उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली, 2001 के अन्तर्गत गठित हैं अथवा भविष्य में गठित होंगे;

(झ) 'माइक्रोप्लान' (सूक्ष्म परियोजना) का तात्पर्य किसी एक ग्राम वन/पंचायती वन के लिए पांच वर्षों के लिए बनाई गई योजना से है;

(ट) 'वार्षिक कार्यान्वयन योजना' का तात्पर्य उस कार्यकारी योजना से है जो ग्राम वन/पंचायती वन की सूक्ष्म परियोजना के अनुसार एक वर्ष के लिए बनाई गई हो;

(ठ) 'पंचायती वन' का तात्पर्य इस नियमावली के लागू होने की तिथि को किसी पंचायती वन के वर्तमान क्षेत्र से है जिसमें इस नियमावली के अधीन इस रूप में यथाविधि पूर्व नियमावलियों में गठित क्षेत्र (नगरपालिका या नगरपालिका की सीमा के बाहर) भी सम्मिलित है, और इसका वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) में शब्द 'ग्राम वन' से है, जिन्हें वर्तमान नियमावली में आगे ग्राम वन/पंचायती वन कहा गया है;

(ड) 'अधिकारधारी' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो कि उस ग्राम का भूमिधर हो जहां ऐसे ग्राम वन का गठन किया गया हो या ऐसा व्यक्ति हो जिसे किसी कानून या न्यायालय के आदेशों के अधीन ग्राम वन/पंचायती वन में पशु चराने, चारा, ईंधन लकड़ी एकत्र करने का अधिकार प्राप्त हो। इसमें वह भूमिहीन व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो उस ग्राम में लगातार 10 वर्ष से रहता आ रहा हो जहां ऐसे ग्राम वनों का गठन किया गया हो;

(ढ) 'राज्य सरकार' से तात्पर्य उत्तरांचल राज्य सरकार से है;

(ण) 'ग्राम' का तात्पर्य ऐसे ग्राम से है जो उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 31 (जो उत्तरांचल में प्रवृत्त है) के अधीन रखी गयी सूची में दर्शित ग्राम से है और इसमें ऐसा ग्राम सम्मिलित है जिसकी सीमाओं का सीमांकन उस अधिनियम के अनुसार किये गये राजस्व बन्दोबस्त के अधीन किया गया हो;

(त) 'आम सभा' का तात्पर्य धारा (4) और (5) के अधीन ग्राम वन/पंचायती वनों का सीमांकन हो जाने पर परगना मजिस्ट्रेट द्वारा ग्राम के वयस्क निवासियों को किसी सुविधाजनक स्थान पर इकट्ठा होने को कहे जाने पर इस प्रकार एकत्रित व्यक्तियों के समूह से है;

(थ) 'स्वयं सहायता समूह'/'वन उपयोगकर्ता समूह' का तात्पर्य आम सभा के उस सदस्य से है, जो सामूहिक रूप से वनों के प्रबन्धन एवं विकास में रूचि रखते हों एवं सम्बन्धित वन पंचायत में पाये जाने वाले वन उपज पर जीवन यापन हेतु निर्भर हों। किसी भी परिवार के एक से अधिक सदस्यों को इस समूह में सम्मिलित नहीं किया जायेगा;

(द) 'वयस्क' का तात्पर्य 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के व्यक्ति से है;

(ध) 'परिवार' का अर्थ ग्राम पंचायत के अभिलेखों में दर्ज सदस्यों के नाम से होगा;

(न) 'ग्राम वन निधि/पंचायती वन निधि' का तात्पर्य नियम 28 के अन्तर्गत प्रबन्धन समिति द्वारा विभिन्न श्रोतों से प्राप्त आय से है;

(प) 'ग्राम सभा' एवं 'प्रधान' के वही अर्थ होंगे, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट, 1947 (जो उत्तरांचल में प्रवृत्त है) में उनके लिए दिये गये हैं।

3. ग्राम वन (पंचायती वन) का गठन :

ग्राम वन (पंचायती वन) का गठन कराने हेतु आवेदन की प्रक्रिया–

कम से कम ग्राम के पंच भाग वयस्क निवासियों, जो संबंधित राजस्व ग्राम के निवासी हों, जिसमें ग्राम की सीमावर्ती वह भूमि भी सम्मिलित होगी जो आरक्षित वन गठित हो या संरक्षित वन घोषित हो या सरकार का वन हो, द्वारा आवेदन देने पर या सम्बन्धित ग्राम सभा के द्वारा बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित करने पर, सम्बन्धित परगना मजिस्ट्रेट वन विभाग की संस्तुति से इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

परन्तु किसी भूमि को ग्राम वन घोषित नहीं किया जायेगा यदि ग्राम या ग्रामों के, जिनकी सीमा उक्त क्षेत्र में पड़ती है, आधे या उससे अधिक निवासी योजना के सम्बन्ध में आपत्ति करें। आवेदन-पत्र में, प्रार्थित क्षेत्र की स्थिति तथा सीमाएं भी यथासम्भव स्पष्ट की जायेंगी।

4. प्रार्थित क्षेत्र के सम्बन्ध में नोटिस जारी करना और दावा तथा आपत्तियों की सुनवाई :

नियम 3 के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर परगना मजिस्ट्रेट सम्बन्धित ग्राम में नोटिस तामील करायेगा तथा व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सार्वजनिक रूप से डुगडुगी पिटवायेगा तथा इसकी प्रति सम्बन्धित ग्राम तथा आसन्न

ग्रामों और वन बन्दोबस्त में जिन ग्रामों को उक्त वन क्षेत्रों से अधिक सुविधाएं प्राप्त हों, के किसी सार्वजनिक स्थल पर चिपकायेगा। नोटिस में प्रार्थित क्षेत्र की स्थिति और सीमाएं तथा प्रयोजन जिसके लिए वह अपेक्षित हो, विनिर्दिष्ट होगा और उसमें वह दिनांक इंगित होगी जब तक आवेदन–पत्र के सम्बन्ध में दावा एवं आपत्तिया, यदि कोई हों, प्रस्तुत की जानी चाहिएं और उसमें वह दिनांक भी इंगित होगी जब दावों तथा आपत्तियों की सुनवाई की जायेगी।

5. दावों/आपत्तियों पर विनिश्चय, ग्राम वनों/पंचायती वनों का सीमांकन और विनिश्चय के विरुद्ध अपील:

(क) इस प्रकार निश्चित दिनांक को या किसी अनुवर्ती दिनांक को, जब तक के लिए कार्यवाहियां स्थगित की जायें, परगना मजिस्ट्रेट दावों और आपत्तियों की, यदि कोई हों, सुनवाई करेगा तथा उन पर विनिश्चय करेगा। अगर सीमा के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो वह सरकारी तौर पर निर्णय दे सकता है और इस निर्णय के आधार पर प्रस्तावित ग्राम वन/पंचायती वन के सीमांकन की कार्यवाही कर सकता है। वह आवेदन–पत्र को अंशतः या पूर्णतः स्वीकार कर सकता है और ऐसी शर्त विहित कर सकता है जिन पर उसे स्वीकार किया जायेगा। यदि वह पूर्णतः या अंशतः आवेदन–पत्र अस्वीकार कर दे तो वह उसके लिए कारणों को अभिलिखित करेगा। आरक्षित वन क्षेत्र के सम्बन्ध में बिना राज्य सरकार की अनुमति के आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ख) नियम 5 की उपधारा (क) के अन्तर्गत दिये गये निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति निर्णय के 30 दिनों के अन्दर कलेक्टर को अपील कर सकता है और कलेक्टर इस अपील पर अपना निश्चय शीघ्रातिशीघ्र देगा।

6. (अ) उपयोगकर्ता के अधिकार :

उन ग्राम वनों/पंचायती वनों में जो आरक्षित वनों से बने हैं, केवल उन व्यक्तियों को, जिनके अधिकार ऐसे अधिकारों की सूचियों में अभिलिखित हों, उपयोगकर्ताओं के अधिकार अनुमन्य होंगे। ये अधिकार उन भूमिहीन व्यक्तियों जो उस ग्राम में लगातार दस वर्षों से रहते आ रहे हों को भी देय होंगे, जहाँ ऐसे ग्राम वनों/पंचायती वनों का गठन किया गया है।

6. (ब) उपयोगकर्ता के कर्तव्य :

जिन उपयोगकर्ताओं को धारा 6(अ) के तहत अधिकारों का उपयोग देय है, के कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे:–

1. सम्बन्धित ग्राम वन में अग्नि दुर्घटना होने पर उसके शमन हेतु सहयोग देना होगा।
2. सम्बन्धित ग्राम वन में किसी भी प्रकार के वन अपराध यथा–अतिक्रमण, अवैध चराई अथवा अवैध पातन होने पर उक्त की सूचना प्रबन्धन समिति को अविलम्ब देनी होगी।
3. सम्बन्धित ग्राम वन में पूर्व से स्थापित अथवा प्रबन्धन समिति द्वारा किये गये रोपण कार्यों की सुरक्षा हेतु सहयोग दिया जाना।

7. आम सभा एवं प्रबन्धन समिति का गठन :

(1) (क) जब धारा (4) और (5) के अधीन ग्राम/वन का सीमांकन हो जाये, परगना मजिस्ट्रेट ग्राम के वयस्क निवासियों को किसी सुविधाजनक स्थान पर इकट्ठा होने को कहेगा और इस प्रकार एकत्रित व्यक्तियों का समूह आम सभा कहलायेगी। यह सभा एक स्वयं सहायता समूह (वन उपयोगकर्ता) के रूप में कार्य करेगी। आम सभा प्रबन्धन समिति का गठन परगना अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किये गये अधिकारी की उपस्थिति में करेगी।

इस सम्बन्ध में एक लिखित नोटिस सम्बन्धित पटवारी और सम्बन्धित ग्राम सभा के प्रधान पर भी तामील होगा। प्रबन्धन समिति में नौ सदस्य होंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि एक परिवार से एक ही सदस्य इस हेतु पात्र होगा। चार स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे जिनमें से एक सदस्या अनुसूचित जाति या जनजाति की होगी। बचे हुए पांच स्थानों में एक स्थान अनुसूचित जाति या जनजाति के पुरुष के लिए आरक्षित होगा। अगर सम्बन्धित ग्राम में अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य नहीं रहते हों तो उक्त स्थान अनारक्षित समझे जायेंगे। प्रबन्धन समिति का गठन यथा संभव सर्वसम्मति से किया जायेगा। अगर यह संभव न हो, निर्दिष्ट अधिकारी की उपस्थिति में हाथ उठाकर बहुमत से किया जायेगा।

(ख) जब प्रबन्धत समिति का यथाविधि गठन हो जाये तो वे अपने में से बहुमत द्वारा सरपंच चयन करेंगे। गठन प्रक्रिया समाप्त होने पर परगना मजिस्ट्रेट सदस्यों एवं सरपंच का नाम वन पंचायत रजिस्टर में दर्ज करेगा और उनके हस्ताक्षर उक्त रजिस्टर में प्राप्त करेगा।

(ग) कोई भी राजकीय सेवक अथवा स्थानीय निकाय/पंचायत राज/प्रबन्धन समिति का कर्मचारी अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ग्राम वन/पंचायती वन की देय धनराशि बकाया हो और वे व्यक्ति जो नैतिक पतन सम्बन्धित दण्डात्मक अपराध के लिए दोष सिद्ध हो तथा जो किसी भी वन अधिनियम अथवा वन्य जीव अधिनियम के अन्तर्गत दोष दर्ज हो, समिति के सदस्य या सरपंच के रूप में चयन के लिए पात्र न होंगे।

(घ) कोई सरपंच एक समय में लगातार दो कार्यकाल से अधिक अवधि के लिए सरपंच के रूप में चयन के लिए पात्र न होगा।

8. चुनाव पुनरीक्षण एवं अपील :

(क) किसी सदस्य के चयन से व्यथित ग्राम में निवास करने वाला या कोई अधिकारधारी या सरपंच के चयन से असन्तुष्ट कोई सदस्य चयन की तिथि के 30 दिनों के भीतर परगना मजिस्ट्रेट को कारण बताते हुए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है। परगना मजिस्ट्रेट ऐसे प्रार्थना–पत्र का यथासम्भव 30 दिनों के अन्दर निस्तारण करेगा।

(ख) उप नियम (क) के अन्तर्गत दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तिथि के 30 दिनों के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है और कलेक्टर ऐसी अपील का यथासम्भव 30 दिन के भीतर निस्तारण करेगा।

9. प्रबन्धन समिति के गठन की घोषणा :

परगना मजिस्ट्रेट समिति के विधिवत् गठन की अन्तिम घोषणा के साथ ही आम सभा के व्यक्तियों, सरपंच एवं प्रबन्धन समिति के सदस्यों के नाम भी सूचित करेगा।

10. ग्राम वन (पंचायती वन) एवं प्रबन्धन समिति के गठन की सूचना :

परगना मजिस्ट्रेट इस नियमावली के अन्तर्गत आम सभा, ग्राम वन/पंचायती वन एवं प्रबन्धन समिति के गठन की सूचना सम्बन्धित आयुक्त, वन संरक्षक, कलेक्टर एवं प्रभागीय वनाधिकारी को देगा।

11. संहत प्रबन्ध योजना :

प्रभागीय वनाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्राम वनों/पंचायती वनों के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए एक संहत प्रबन्ध योजना बनायेगा और इसे सम्बन्धित वन संरक्षक को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा एवं वन संरक्षक बिना संशोधन के अथवा संशोधन सहित 60 दिनों के अन्दर अपना अनुमोदन देगा।

12. माइक्रोप्लान :

प्रबन्धन समिति के लिए यह आवश्यक होगा कि संहत प्रबन्ध योजना में दिये गये निर्देशों के अनुसार ग्राम वन की सुरक्षा एवं प्रबन्ध हेतु सम्बन्धित उपराजिक/वन दरोगा अथवा वन रक्षक जैसी भी प्रशासनिक सुविधा हो, की सहायता से पांच वर्षों की अवधि हेतु एक माइक्रोप्लान बनाये, जिसमें अधिकारधारियों की आवश्यकतायें एवं क्षेत्र के पारिस्थितिकी सन्तुलन सुनिश्चित किये जाने को ध्यान में रखा जायेगा। सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत किये जाने से पूर्व सूक्ष्म योजना को सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अधिकारधारियों/ स्वयं सहायता समूह (वन उपयोगकर्ता) की आम सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। समिति का यह कर्तव्य होगा कि अन्तिम रूप से स्वीकृत की गई सूक्ष्म योजना के प्राविधानों का कठोरता से पालन करे।

13. वार्षिक कार्यान्वयन योजना :

प्रतिवर्ष प्रबन्धन समिति वन दरोगा/वन रक्षक की सहायता से तथा स्वीकृत माइक्रोप्लान के प्राविधानों के अधीन ग्राम वन के प्रबन्ध एवं विकास हेतु वार्षिक कार्यान्वयन योजना बनायेगी और इसका अनुमोदन वन क्षेत्राधिकारी से एक सितम्बर तक करा लेगी। ऐसा कर लेने के पश्चात् इस वार्षिक कार्यान्वयन योजना के प्राविधान लागू हो जायेंगे।

14. प्रबन्धन समिति द्वारा कार्य किया जाना :

वार्षिक कार्यान्वयन योजना के वन क्षेत्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् समिति का कार्य करना प्रारम्भ हो जायेगा।

15. प्रबन्धन समिति के सरपंच और सदस्यों का कार्यकाल :

(क) सरपंच और सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा और प्रबन्धन समिति को किसी आकस्मिक रिक्तियों को अवशेष अवधि हेतु धारा 7 से 9 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप भरने का अधिकार होगा।

(ख) पूर्व में संस्थापित नियमावलियों में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत गठित वन पंचायत तथा वर्तमान नियमावली के अन्तर्गत गठित प्रबन्धन समिति का कार्यकाल समाप्त होने, जैसी भी स्थिति हो, के कम से कम छह माह पूर्व ही परगना मजिस्ट्रेट द्वारा प्रबन्धन समिति के गठन हेतु चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जायेगी एवं इसकी सूचना सम्बन्धित कलेक्टर एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को दी जायेगी।

(ग) यदि किसी अपरिहार्य कारण से प्रबन्धन समिति का कार्यकाल खत्म हो जाये और नई प्रबन्धन समिति का गठन न हो सके तो कलेक्टर को उक्त प्रबन्धन समिति का कार्यकाल छह मास हेतु बढ़ाने की शक्ति होगी और कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त विस्तारित अवधि में प्रबन्धन समिति का गठन हो जाये।

16. प्रबन्धन समिति की बैठक एवं उसकी कार्यवाहियां :

(क) प्रबन्धन समिति की प्रत्येक माह में एक बैठक नियत तिथि पर की जायेगी। बैठक की कार्यवाहियां एक रजिस्टर में हिन्दी में अभिलिखित की जायेंगी और इसकी एक प्रतिलिपि बैठक के तुरन्त बाद वन क्षेत्राधिकारी को दी जायेगी :

परन्तु सरपंच द्वारा कोई आपातिक बैठक या तो स्वयं अथवा प्रबन्धन समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों के अधियाचन पर कम से कम एक दिन पूर्व नोटिस देने के पश्चात् किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(ख) प्रबन्धन समिति के सभी निश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किये जायेंगे।

(ग) प्रबन्धन समिति की गणपूर्ति पांच सदस्यों की उपस्थिति से होगी जिसके अन्तर्गत सरपंच या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भी है।

(घ) उप वन राजिक, वन दरोगा या/एवं वन रक्षक प्रबन्धन समिति की बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, पर उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

(ङ) वन रक्षक/वन दरोगा/उप राजिक प्रबन्धन समिति का सचिव होगा और सचिव को उसके कर्तव्यों में सहयोग देने हेतु ग्राम वन/पंचायती वन का कोई अधिकारधारी जिसका चयन प्रबन्धन समिति की सभा में प्रस्ताव पारित करके किया गया हो, अपर सचिव होगा।

(च) सरपंच का यह कर्तव्य होगा कि वह वर्ष में दो बार विशेष रूप से अप्रैल तथा अक्टूबर में आम सभा की एक बैठक आहूत करे जिसमें सभा के समस्त व्यक्तियों को ग्राम वन/पंचायती वन के विकास, कार्य तथा राजस्व के बारे में जानकारी दी जायेगी एवं चर्चा करायी जायेगी। बैठक की कार्यवाही वन क्षेत्राधिकारी को भेजी जायेगी। अधिकारधारियों से यह अपेक्षा होगी कि वे अपनी सुझावों समस्याओं को आम सभा में बतायें और ग्राम वन के विकास के लिए अपने सुझाव भी, यदि कोई हों, देंगे।

17. अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरपंच और सदस्य का हटाया जाना :

(क) यदि प्रबन्धन समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों के द्वारा परगना मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में अग्रिम सूचना देकर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा प्रबन्धन समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाय तो प्रबन्धन समिति के सरपंच को उनके पद से हटाया जा सकता है।

(ख) यदि प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य को अधिकांश सदस्य हटाना आवश्यक समझें तो सरपंच इस तथ्य की सूचना परगना मजिस्ट्रेट को देगा। परगना मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अधिकारी उस ग्राम में जायेगा और मत देने के लिए हकदार व्यक्तियों की इच्छाओं को मालूम करेगा और तद्नुसार कार्यवाही करेगा। यदि सदस्य हटा दिया जाय तो परगना मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अधिकारी इस प्रकार हटाये गये सदस्य के कार्यकाल के असमाप्त भाग के लिए एकत्र आम सभा के सदस्यों को बुलाकर तुरन्त एक नया सदस्य चयनित करवाकर सूचना परगना मजिस्ट्रेट को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

(ग) आम सभा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सरपंच या प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकेगी। ऐसे प्रस्ताव की लिखित सूचना आम सभा के कम से कम पंच भाग द्वारा आम सभा की बैठक आहूत करने से कम से कम 15 दिन पूर्व परगना मजिस्ट्रेट को दी जायेगी। परगना मजिस्ट्रेट अथवा उसका नामित अधिकारी उस ग्राम में जायेगा और मत देने के लिए हकदार व्यक्तियों की इच्छाओं को मालूम करेगा और तदनुसार कार्यवाही करेगा। यदि सरपंच/सदस्य हटा दिया जाय तो परगना मजिस्ट्रेट इस प्रकार हटाये गये सरपंच/सदस्य के कार्यकाल के असमाप्त भाग के लिए 17 (ख) में दी गई व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही करेगा।

18. वन उपज का समुपयोजन एवं उपयोग :

(क) ग्राम वन/पंचायती वन से किसी वन उपज का समुपयोजन माइक्रोप्लान के प्राविधानों की सीमा तक किया जायेगा और जब तक ग्राम वन/पंचायती वन द्वारा क्षेत्र की पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित नहीं की जायेगी, जब तक किसी वन उपज का समुपयोजन नहीं किया जायेगा।

(ख) अधिकारधारियों के स्थापित रूढ़ि द्वारा प्राप्त समस्त अधिकार जैसे गिरे पड़े ईंधन को एकत्र करना, वृक्षों की शाखा कर्तन, घास की कटाई आदि माइक्रोप्लान के प्राविधानों के अधीन शासित होते रहेंगे।

(ग) प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्वानुमोदन के पश्चात् एवं उपधारा (क) एवं (ख) के अधीन आवश्यकताएं पूर्ण होने के पश्चात् प्रबन्धन समिति प्रस्ताव पारित कर अधिकारधारियों के वास्तविक घरेलू उपयोग हेतु या स्थानीय कुटीर उद्योग या ग्रामीण उद्योग या सामुदायिक उपयोग हेतु वन उपज का निस्तारण कर सकती है।

(घ) उपधारा (क), (ख) और (ग) के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् अगर प्रबन्धन समिति यह अनुभव करती है कि उनके वन में वाणिज्यिक बिक्री हेतु समुपयोज्य वृक्ष या अन्य उपज है तो वह वन क्षेत्राधिकारी को आवेदन करेगा जो उसका आवेदन मूल्य के अनुमान एवं अपनी टिप्पणी तथा सिफारिशों के साथ प्रभागीय वनाधिकारी के पास आदेश हेतु भेजेगा जिसके प्राप्त होने के पश्चात् वृक्षों या अन्य वन उपज के दोहन तथा नीलामी के द्वारा बिक्री के सम्बन्ध में बिक्री की कार्यवाही सहायक वन संरक्षक/उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी।

(ङ) उपधारा (घ) के प्राविधानों के अधीन विशेष परिस्थितियों में सरपंच, वन संरक्षक के द्वारा जारी किये अनुसूचित दरों पर अधिकारधारियों के अत्यन्त आवश्यक सार्वजनिक उपयोग अथवा घरेलू उपयोग हेतु एक वृक्ष की बिक्री की स्वीकृति दे सकता है :

बशर्ते–

(1) अनुमोदन का प्रस्ताव वन पंचायत की बैठक में पारित हुआ हो तथा विक्रय से पूर्व प्रबन्धन समिति के आधे से अधिक सदस्यों से लिखित रूप से सहमति प्राप्त कर ली गयी हो।

(2) सरपंच के लिए यह आवश्यक होगा कि वह ऐसे वृक्ष के पातन से पहले अपनी प्रबन्धन समिति के चिन्हक (मार्किंग हेमर) से उसे चिन्हित करे।

19. प्रबन्धन समिति के कर्तव्य :

अपने क्षेत्राधिकार में प्रबन्धन समिति के कर्तव्य निम्नवत् होंगे:–

(क) ग्राम वन/पंचायती वन हेतु पांच वर्षों के लिए माइक्रोप्लान एवं वार्षिक क्रियान्वयन योजना बनाना तथा उसे अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु क्रमशः वन क्षेत्राधिकारी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी को प्रस्तुत करना।

(ख) वृक्षों को क्षति पहुंचाये जाने से रोकना और उन्हीं वृक्षों को उपयोग में लाना जो सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा नामित अधिकारी द्वारा वनवर्धन की दृष्टि से पातन के लिए चिन्हित किये गये हों।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि ग्राम वन/पंचायती वन क्षेत्र में किसी भूमि पर अतिक्रमण न हो।

(घ) सीमा स्तम्भ लगाना, सीमा दीवाल बनाना और उनकी सुरक्षा करना।

(ङ) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वनों के संरक्षण और सुधार हेतु दिये गये निर्देशों और कार्यकारी आदेशों का पालन करना।

(घ) अधिकारधारियों के सर्वोत्तम लाभ हेतु ग्राम वन/पंचायती वन के वनवर्धनीय स्वास्थ्य एवं सतत् संसाधन प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए वन उपज का उपयोग करना।

(छ) वृक्षों के अवैध पतन, शाखकर्तन, अग्नि या अन्य प्रकार की क्षति से वनों को बचाना तथा इनका संरक्षण करना।

(ज) यह सुनिश्चित करना कि जल स्रोतों के जलागम क्षेत्र उपयुक्त वृक्ष एवं वानस्पतिक आवरण से ढंके रहें ताकि वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण हो।

(झ) वनाग्नि प्रबन्धन एवं नियंत्रित चुगान, जिसमें कम से कम 20 प्रतिशत क्षेत्र चराई हेतु प्रतिवर्ष चक्रीय रूप से बन्द रहे, के द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ावा देना।

(ञ) वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित करना।

20. प्रबन्धन समिति के अधिकार :

प्रबन्धन समिति की प्रास्थिति वन अधिकारी की होगी और वह सौंपे गये क्षेत्र के लिए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी :-

(क) ग्राम वन/पंचायती वन के भीतर किये गये वन अपराधों का अपराधों की प्रकृति के अनुसार प्रतिकर के रूप में प्रत्येक अलग-अलग अपराध हेतु 500 रुपये की (सीमा तक) राशि का शमन करना :

परन्तु यदि अपराधी मामले का शमन करने को तैयार हों तो प्रबन्धन समिति इस नियम में विनिर्दिष्ट प्रतिकर के अतिरिक्त अपराध में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का पूरा बाजार मूल्य, जैसा कि प्रभागीय वनाधिकारी/संबंधित वन संरक्षक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा विहित अनुसूचित दर पर निर्धारित किया जाय, वसूल करेगी।

(ख) इस नियमावली के अन्तर्गत उठने वाले दावों के सम्बन्ध में वाद तथा कार्यवाहियों को संस्थित करना एवं उनका प्रतिवाद करना।

(ग) ग्राम वनों/पंचायती वनों के अन्दर ढोरों के चराई एवं प्रवेश को नियमित करना।

(घ) ग्राम वनों/पंचायती वनों में अतिचार करने वाले पशु को पशु अतिचार अधिनियम, 1871 के अनुसार रोक रखना।

(ङ) किसी व्यक्ति को जिसे प्रबन्धन समिति पर्याप्त कारण से क्षेत्र में आग लगाने या क्षति होने के लिये जिम्मेदार समझे या जो प्रबन्धन समिति को प्रदत्त शक्ति के अनुरूप प्रबन्धन समिति द्वारा दिये गये आदेशों का उल्लंघन करे, ग्राम वन/पंचायती वन के किसी या सभी विशेषाधिकार से अपवर्जित करना।

(च) ग्राम वन/पंचायती वन क्षेत्र के अन्तर्गत वन अपराध करने में प्रयुक्त सभी औजारों एवं हथियारों को अभिग्रहित करना।

(छ) वन को हानि पहुंचाये बिना वन उपज की स्थानीय बिक्री करना और चराई और घास कटाई के लिये या गिरी हुई जलाने की लकड़ी को एकत्रित करने के लिये अगर आवश्यक हो तो प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्वानुमोदन के साथ अनुज्ञा-पत्र जारी करना और फीस लेना जो अधिकारधारियों के वास्तविक उपयोग हेतु होगा परन्तु चराई, घास कटाई या जलौनी लकड़ी एकत्रित करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी की आज्ञा आवश्यक नहीं होगी।

(ज) उत्तर प्रदेश लीसा एवं अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976 (जो उत्तरांचल में प्रवृत्त है) के प्राविधानों के अधीन लीसा का छेवन तथा बिक्री करना।

(झ) प्रबन्धन समिति स्वयं सहायता समूह या वन उपयोगकर्ता सदस्य से समूह के रूप में अथवा एकल सदस्य (जैसी भी स्थिति हो), से अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत वन ग्राम वनों के समुचित प्रबन्धन, संवर्धन, सुरक्षा विकास को दृष्टिगत रखते हुए आम सभा से अनुमोदन प्राप्त कर अनुबन्ध कर सकेगी।

21. उपविधियां बनाने की शक्ति :

प्रबन्धन समिति वन उपज का उसके अधिकारधारियों के बीच वितरण करने, चुगान को विनियमित करने, घास काटने और ईंधन की लकड़ी एकत्र करने, अपने प्रशासकीय व्यय को पूरा करने के लिये फीस लेने और इस

नियमावली से संगत किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपविधियां बना सकती है। उपविधियां आम सभा द्वारा दी गई सहमति के पश्चात् सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुमोदित करने पर ही प्रभावी होंगी।

22. कर्मचारियों की नियुक्ति :

प्रबन्धन समिति/वन पंचायत ऐसे वैतनिक कर्मचारियों, जो आवश्यक समझे जायें, की नियुक्ति संविदा पर इस प्रतिबन्ध के साथ कर सकती है कि ग्राम वन/पंचायती वन निधि में ऐसे कर्मचारियों के भुगतान हेतु सतत् रूप से धनराशि उपलब्ध हो। इन्हें कार्य से हटाने की शक्ति भी संबंधित वन पंचायत/प्रबंधन समिति को होगी।

23. रजिस्टरों एवं अभिलेखों का रख–रखाव :

प्रत्येक प्रबन्धन समिति ऐसे पंजियों तथा अभिलेखों को ऐसी अवधि के लिये अद्यतन रखेगी जो राज्य सरकार या जिलाधिकारी या प्रभागीय वनाधिकारी या सूक्ष्म योजना/परियोजना द्वारा विहित की जाये।

24. प्रबन्धन समिति कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन :

(1) प्रबन्धन समिति पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यों का एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल के पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी को प्रस्तुत करेगी जो अपने क्षेत्र की संकलित रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा। प्रबन्धन समिति की वार्षिक रिपोर्ट यथा स्थिति उप वनराजिक या वन दरोगा के द्वारा तैयार की जायेगी और इसमें निम्नलिखित सूचनायें होंगी–

(i) विवरण–पत्र जिसमें ग्राम वन/पंचायती वन निधियों के उपयोग का विवरण दिया गया हो;

(ii) विवरण–पत्र जिसमें मांग तथा वसूली का विवरण दिया गया हो;

(iii) विवरण–पत्र जिसमें आय और व्यय का विवरण दिया गया हो;

(iv) विवरण–पत्र जिसमें वर्ष के दौरान किये गये उपयोग, पातन (चाहे वे वाणिज्यिक प्रयोग के लिये हों अथवा अधिकारधारियों और स्थानीय ग्राम वासियों के वास्तविक घरेलू प्रयोग के लिये हों) वनवर्धन और पुनरोत्पादन तथा पुनरापि सम्बन्धी अन्य कार्य का विवरण दिया गया हो। विवरण–पत्र में यह बात विशेष रूप से दी जानी चाहिये कि माइक्रोप्लान में कौन से कार्य विहित किये गये थे एवं उन कार्यों को करने के लिए वास्तव में क्या किया गया;

(v) अन्य कोई महत्वपूर्ण विषय।

(2) प्रबन्धन समिति अपने कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष एक प्रस्तुतिकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत की खुली सभा में रखेगी।

25. सरपंच का कर्तव्य :

(1) जब तक किसी युक्तियुक्त कारण से असमर्थ न हो, सरपंच का निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(क) प्रबन्धन समिति की सभी बैठकों को बुलाना और उनकी अध्यक्षता करना।

(ख) कार्य पर नियंत्रण रखना, उसे संचालित करना और व्यवस्था बनाये रखना।

(ग) प्रबन्धन समिति की वित्त व्यवस्था की देख–भाल करना और उसके प्रशासन का अधीक्षण करना तथा उसमें पाई गई किसी त्रुटि को उसकी जानकारी में लाना।

(घ) प्रबन्धन समिति द्वारा रखे गये कर्मचारी वर्ग तथा अधिष्ठान का अधीक्षण व नियंत्रण करना।

(ङ) प्रबन्धन समिति के संकल्पों को कार्यान्वित करना।

(च) नियमों के विहित विभिन्न रजिस्टरों को रखने की व्यवस्था करना और प्रबन्धन समिति की ओर से सभी पत्र–व्यवहार करना।

(छ) प्रबन्ध समिति की ओर से दीवानी–वाद संस्थित करना और अभियोग चलाना।

(ज) अपनी अनुपस्थिति में सरपंच के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्रबन्धन समिति के किसी एक सदस्य को लिखित रूप से नाम निर्दिष्ट करना।

(2) सरपंच प्रबन्धन समिति के नाम के साथ ढाली हुई सरपंच की मोहर प्रबन्धन समिति के दो अन्य सदस्यों की उपस्थिति में ही प्रयोग करेगा जो अपनी उपस्थिति की पुष्टि में हस्ताक्षर भी करेंगे।

(3) उप नियम (1) खण्ड (ज) के अधीन सरपंच द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य सरपंच की अनुपस्थिति में उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे नियमावली के अधीन प्रदत्त या सौंपे गये हैं। यदि सरपंच ऐसा कोई नाम निर्देशन करने में असफल रहे हों तो ग्राम वन समिति के सदस्य बैठक के समय उपस्थित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को बैठक की कार्यवाहियों का संचालन करने के लिये सरपंच के रूप में चुन सकते हैं।

(4) इस नियमावली के अधीन सरपंच को सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये सरपंच को प्रबन्धन समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में ग्राम वन/पंचायती वन निधि से एक हजार रुपये तक व्यय करने और इस सीमा तक अग्रिम धनराशि का आहरण करने की शक्ति होगी।

26. सरपंच का त्याग-पत्र :

किसी प्रबन्धन समिति का सरपंच पद त्याग करने हेतु अपना लिखित त्याग-पत्र जिस पर उसका हस्ताक्षर हो और जो स्थानीय राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, परगना मजिस्ट्रेट को व्यक्तिगत रूप से दे सकता है और उसके पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज सकता है और त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर उसका पद रिक्त हो जायेगा।

27. सरपंच के पद का कार्यभार सौंपना एवं कार्यभार ग्रहण करना :

जब कभी भी सरपंच का कार्यभार सौंपा जाये, सभी अभिलेखों, निधियों और सम्पत्ति की एक सूची तैयार की जायेगी और कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने वाले व्यक्ति सूची के ठीक होने के प्रतीक स्वरूप उस पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों व्यक्तियों द्वारा यथाविधित हस्ताक्षरित इस सूची की प्रतिलिपि कार्यभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी को दी जायेगी। यदि किसी अभिलेख, निधि या सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो दोनों व्यक्तियों को कार्यभार सूची के अन्त में अपनी अभ्युक्ति लिखने का अधिकार होगा।

आय और व्यय

28. ग्राम वन निधि/पंचायती वन निधि :

(1) प्रत्येक प्रबन्धन समिति के लिये एक ग्राम वन/पंचायती वन निधि की स्थापना की जायेगी और निम्न स्रोतों से प्राप्त आय उसमें जमा की जायेगी :-

1. वन उपज के विक्रय से प्राप्त राशि।
2. सरकारी अनुदान।
3. अन्य किसी स्रोत से प्राप्त राजस्व।

पूर्व नियमावलियों के अन्तर्गत प्रबन्धन हेतु गठित समिति/निकाय के प्रतिभाग की कलेक्टरों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त धनराशि बिना किसी विलम्ब के प्रबन्धन समिति के नाम पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक में बचत खाता खोलकर जमा की जायेगी और इनका संचालन सरपंच और ग्राम वन/पंचायती वन के सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

(2) बैंक से सभी आहरण प्रबन्धन समिति के पूर्वानुमोदन से किया जायेगा और अधिकारधारियों को अगली आम सभा में आहरित धनराशि और उपगत व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) व्यय उपगत करने और लेखे की प्रक्रिया समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार होगी।

29. ग्राम वन निधि/पंचायती वन निधि का प्रबन्ध :

(1) प्रबन्धन समिति के द्वारा ग्राम वन निधि का प्रबन्ध प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशन में किया जायेगा।

(2) प्रबन्धन समिति को दी जाने वाली धनराशि का भुगतान सरपंच या सचिव द्वारा इस हेतु अधिकृत किसी सदस्य को किया जायेगा और धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा इसके लिये रसीद फार्म संख्या-2 में प्राप्ति रसीद दी जायेगी।

(3) सरपच द्वारा समीपस्थ पोस्ट ऑफिस राष्ट्रीयकृत बैंक अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक में प्रबन्धन समिति के नाम से बचत सुविधा युक्त खाता खोला जायेगा। यह खाता सरपच द्वारा सचालित होगा। समस्त आहरण चैक के माध्यम से होंगे जो प्रबन्धन समिति के सरपच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे।

30 वन उपज से प्राप्त शुद्ध आय का अवधारण, वितरण और उपयोग

(1) लीसा एव अन्य वन उपज से प्राप्त शुद्ध आय का अवधारण निम्नवत् होगा

(क) वन विभाग लीसा निकालने मे होने वाले वास्तविक व्यय तथा ऐसे उपरिव्यय को जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये, लेगा।

(ख) अन्य वन उपज के सम्बन्ध में वन विभाग विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत प्रशासकीय व्यय के रूप मे लेगा।

(2) शुद्ध आय जो लीसा तथा अन्य वन उपज की बिक्री से अवधारित की जाये और अन्य मदो जैसे प्रतिकर की धनराशि और फीस इत्यादि से हो ग्राम वन/पचायती वन निधि मे जमा की जायेगी और उसका वितरण तथा उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा।

(क) विकास प्रयोजनों अर्थात सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजनाओं का कार्यान्वित करने के लिये ग्राम पचायत को 30 प्रतिशत,

(ख) प्रबन्धन समिति द्वारा ग्राम वन विकास एव अनुरक्षण के लिए 40 प्रतिशत

(ग) प्रबन्धन समिति द्वारा स्थानीय उपयोगिता की योजनाओं एव अनुरक्षण के लिए 30 प्रतिशत

इन व्ययों का प्रस्ताव ग्राम सभा की वार्षिक बैठक मे योजना के स्वरूप में पारित होगा

(3) 500 रुपये से अधिक धनराशि का भुगतान प्रबन्धन समिति के सरपच एव सचिव के सयुक्त हस्ताक्षरो द्वारा जारी किये गये चैकों द्वारा किया जायेगा।

30 ए वृक्षारोपण रोजगार योजना (प्लान्ट मेन्टेन, अर्ण) के अन्तर्गत आय का वितरण एव उपयोग

नियम 20(झ) मे प्रबन्धन समिति को प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत स्वय सहायता समूह या वन उपयोगकर्ता सदस्य से समूह के रूप मे अथवा एकल सदस्य के अनुबन्ध होने की दशा मे आय का वितरण निम्न प्रकार होगा

(क) वन उपज से प्राप्त आय का 15 प्रतिशत ग्राम पचायत को

(ख) वन उपज से प्राप्त आय का 15 प्रतिशत ग्राम वन के विकास हेतु ग्राम वन निधि मे रखा जायेगा।

(ग) वन उपज से प्राप्त आय का 70 प्रतिशत समूह के सदस्यों अथवा सदस्य जैसा भी अनुबन्ध मे उल्लेखित हो।

ऐसी पचायती वन (ग्राम वन) जिनमे एक से अधिक राजस्व/ग्राम पचायतें सम्मिलित हों को समानुपातिक अनुपात से 15 प्रतिशत की धनराशि वितरित की जायेगी।

बजट, लेखा एवं लेखा परीक्षण

31. वार्षिक बजट .

प्रत्येक प्रबन्धन समिति 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आय और व्यय का वार्षिक अनुमान (जिसे आगे वार्षिक बजट कहा गया) तैयार करेगी और उसे पारित करेगी तथा अपने दायित्वो का निर्वहन करने के लिए अपनी वार्षिक आय मे से निधियां प्रविष्ट करेगी। वार्षिक बजट की एक प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पास स्वीकृति हेतु भेजी जायेगी जो उसमें उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसे परिवर्तन कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे। वार्षिक बजट सम्बद्ध वर्ष के पूर्ववर्ती 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किया जायेगा और प्रभागीय वनाधिकारी अपनी स्वीकृति अनुवर्ती 31 मार्च तक दे देगा।

32. वार्षिक बजट में उपान्तर और परिवर्तन .

कोई प्रबन्धन समिति वार्षिक बजट लागू हो जाने के पश्चात् किसी समय सकल्प पारित करके उसमें उपान्तर हेतु सुझाव दे सकती है। सरपच इस सकल्प की एक प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी को भेजेगा जो वार्षिक बजट में उपान्तर या परिवर्तन कर सकता है।

33. लेखा :

सरपंच द्वारा प्रबन्धन समिति के सभी प्रकार के आय एवं व्यय का लेखा रखा जायेगा। हर माह के अन्त में लेखा बन्द किया जायेगा और उसकी रोकड़ बाकी निकाली जायेगी और प्रबन्धन समिति द्वारा आगामी मास की बैठक में उसका परीक्षण किया जायेगा तथा उसे पारित किया जाएगा।

34 लेखों की परीक्षा :

(1) प्रत्येक प्रबन्धन समिति के लेखो की परीक्षा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें उत्तरांचल के आदेशों के अधीन ऐसे अन्तरालों पर तथा ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे लेखा परीक्षा के निमित्त प्रबन्धन समिति का अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सरपंच उत्तरदायी होगा।

(2) उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तीन अधिकारधारियों का नामांकन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आन्तारेक लेखा परीक्षण हेतु किया जायेगा और ऐसी लेखा परीक्षण आख्या प्रभागीय वनाधिकारी को अवलोकन हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

35 लेखा परीक्षा सम्बन्धी आपत्तियों का निस्तारण :

लेखा परीक्षा सम्बन्धी आपत्तिया प्राप्त होने के एक माह के भीतर सरपंच द्वारा बुलाई गई प्रबन्धन समिति की विशेष बैठक में इन पर विचार किया जायेगा और उनके सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही निर्णीत की जायेगी जो कार्यवाही करने का निर्णय किया गया हो तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों का विस्तृत उत्तरलेख यथाशीघ्र प्रभागीय वनाधिकारी को संसूचित किया जाएगा एवं इसकी एक प्रति निरीक्षण अधिकारी के लिये रखी जायेगी।

36. गबन की सूचना :

जब कभी सरपंच या किसी अन्य अधिकारी को ग्राम वन निधि की किसी धनराशि के गबन का पता चले तो ऐसे गबन के तथ्यों की सूचना तुरन्त प्रबन्धन समिति एवं प्रभागीय वनाधिकारी के संज्ञान में लायी जायेगी जो तुरन्त इसकी सूचना जिलाधिकारी को देगा।

37 धनराशि के गबन की जांच :

जिलाधिकारी नियम 36 के अन्तर्गत गबन के बारे में सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त जांच करायेगा।

38. सदस्य या सरपंच का निलम्बन :

जहां प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य अथवा सरपंच के विरुद्ध कोई जांच अपेक्षित हो या की जा रही हो वहां जिलाधिकारी जांच के सम्बन्ध में प्रबन्धन समिति के ऐसे सदस्य अथवा सरपंच को निलम्बित कर सकता है और उसे यह आदेश दे सकता है कि उक्त समिति के अभिलेख धनराशि या कोई अन्य सम्पत्ति उसके द्वारा इस निमित्त किसी प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप दे।

39 प्रबन्धन समिति के सदस्य या सरपंच का हटाया जाना

जिलाधिकारी स्वयं या कोई शिकायत प्राप्त होने पर ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह स्वयं या किसी परगना मजिस्ट्रेट से अनेन श्रेणी के माध्यम से करना उचित समझे किसी समय प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य या सरपंच को हटा सकता है, यदि–

(i) वह कार्य करने से इन्कार करे अथवा किसी कारणवश कार्य करने मे अयोग्य हो जाय अथवा वह नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो।

(ii) उसने पद का दुरूपयोग किया हो अथवा इस नियमावली के द्वारा आरोपित कर्तव्यो का पालन करने में निरन्तर चूक की हो।

(iii) वह किसी वन अपराध में दोषी पाया जाय।

(iv) वह प्रबन्धन समिति की बैठक में दुर्व्यवहार करे या शारीरिक बल का प्रयोग करे।

(v) वह इन नियमों के अन्तर्गत कोई अयोग्यता अर्जित कर ले।

(vi) बिना किसी पर्याप्त कारण के प्रबन्धन समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे

परन्तु प्रबन्धन समिति का कोई सदस्य या सरपंच तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे यह कारण बताने का अवसर न दिया जाये कि क्यों न उसे उसके पद से हटा दिया जाये।

40 नियम 38 एवं 39 के अन्तर्गत दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील

नियम 38 एवं 39 के अन्तर्गत दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से 30 दिनों के भीतर आयुक्त को अपील कर सकता है।

41. सरपंच के पद का कार्यभार सौंपना :

त्याग-पत्र, हटाये जाने या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर या निलम्बन की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति सरपंच के पद का त्याग करता है तो वह जिलाधिकारी द्वारा इस हेतु नामित प्रबन्धन समिति के सदस्य को अपना कार्यभार सौंपेगा।

42. अस्थायी सरपंच का नाम–निर्देशन :

जहां प्रबन्धन समिति के सरपंच को निलम्बित कर दिया जाये या सरपंच का पद किसी अन्य कारण से खाली हो जाए तो जिलाधिकारी लिखित रूप से प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य का अस्थाई सरपंच नाम निर्दिष्ट कर सकता है और वह सरपंच के पुनर्स्थापन या नये सरपंच के निर्वाचन तक जैसी भी स्थिति हो सरपंच की समस्त शक्तियों का उपयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा सरपंच का पद खाली होने के 6 माह के भीतर नये सरपंच का चयन कर दिया जायेगा।

43 प्रबन्धन समिति का निलम्बन, अतिक्रमण या विघटन

जिलाधिकारी किसी प्रबन्धन समिति को निलम्बित कर सकता है उसका अतिक्रमण कर सकता है या उसे विघटित कर सकता है यदि उसकी राय में ऐसी प्रबन्धन समिति अपनी स्थिति का दुरूपयोग करती है अथवा वह इस नियमावली के अधीन उस पर आरोपित कर्तव्यों का पालन करने में असावधान पायी जाये या यदि उसका बना रहना लोकहित में वांछनीय न समझा जाये।

44 नियम 43 के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील

नियम 43 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा दिया गया आदेश आयुक्त के द्वारा पुनरीक्षण यदि कोई हो पर पारित आदेश के अधीन होगा। पुनरीक्षण प्रस्तुत करने की अवधि जिलाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के दिनांक से 30 दिन होगी।

45. प्रबन्धन समिति का अस्थाई प्रबन्ध :

जब कोई प्रबन्धन समिति विघटित निलम्बित या अतिक्रमित कर दी जाये तब नयी प्रबन्धन समिति के पुनर्गठन होने तक के लिए ग्राम वन के अस्थाई प्रबन्ध हेतु जिलाधिकारी किसी अधिकारी को जो उप प्रभागीय वनाधिकारी से निम्न न होगा, को नियुक्ति कर सकता है।

46. प्रबन्धन समिति का पुनर्गठन :

जिलाधिकारी के लिये यह अनिवार्य होगा कि नियम संख्या 43 के अन्तर्गत प्रबन्धन समिति के अतिक्रमण या विघटित होने की तिथि से 6 माह के भीतर नई प्रबन्धन समिति का पुनर्गठन करे।

47. प्रबन्धन समिति के देयों की वसूली :

प्रबन्धन समिति के देयों की वसूली अधिनियम की धारा 82 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में की जा सकती है।

48 प्रबन्धन समिति के व्यय पर वन विभाग द्वारा वन विकास कार्य का निष्पादन

यदि कोई प्रबन्धन समिति आवश्यक निधि होने पर भी प्रवृत्त संयुक्त योजना द्वारा विहित कोई वन विकास कार्य नहीं करती है तो प्रभागीय वनाधिकारी उसे प्रबन्धन समिति के व्यय पर करा सकता है।

49. प्रबन्धन समिति द्वारा पारित संकल्प, निर्देश या आदेश के निष्पादन को प्रतिषिद्ध विखण्डित या उपान्तरित करने की शक्ति -

प्रभागीय वन अधिकारी किसी प्रबन्धन समिति द्वारा उनके किसी अधिकारी द्वारा पारित संकल्प निर्देश या आदेश के निष्पादन को लेखित आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध विखण्डित अथवा उपान्तरित कर सकता है यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प निर्देश या आदेश इस प्रकार का है जिससे जनता या लोकहित में रुकावट होती है कष्ट होता है या क्षति पहुंचती है अथवा जो इस नियमावली के उपबन्धों के प्रतिकूल है।

50. अधिकारियों द्वारा प्रबन्धन समिति कार्यप्रणाली का निरीक्षण

(1) जिलाधिकारी परगना मजिस्ट्रेट, प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी अपने सम्बन्धित कार्य क्षेत्र के ग्राम वनों तथा प्रबन्धन समिति की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करेंगे एवं समय–समय पर इसके कार्यों की समीक्षा करेंगे।

(2) इन निरीक्षण आख्याओं की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी को भेजी जायेगी जिस पर वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह उचित समझे।

51. सांसद एवं विधायकों आदि द्वारा ग्राम वन एवं प्रबन्धन समिति की कार्यप्रणाली का निरीक्षण

सांसद विधान सभा के सदस्य एवं अध्यक्ष जिला पंचायत उस क्षेत्र जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हों के भीतर किसी पंचायती वन (ग्राम वन) या प्रबन्धन समिति की कार्यप्रणाली के निरीक्षण करने के लिए अधिकृत होंगे।

52. क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति का गठन :

क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति में कुल 13 सदस्य होंगे। इस समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी

1.	क्षेत्रीय समन्वयक	अध्यक्ष	एक
2.	क्षेत्र में से चयनित सरपंच	सदस्य	छः
3.	परगना मजिस्ट्रेट द्वारा नामित सरपंच	सदस्य	चार
4	परगना मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी से अनिम्न)	सदस्य	एक
5	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य सचिव	एक

क्षेत्र के प्रबन्धन समितियों के सरपंच क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के गठन हेतु अपने में से सात सदस्यों का चयन करेंगे। इस चयन हेतु परगना मजिस्ट्रेट किसी राजपत्रित अधिकारी को नामांकित कर क्षेत्र के अन्तर्गत गठित समस्त प्रबन्धन समितियों के सरपंचों की बैठक आहूत करवाकर चयन प्रक्रिया पूर्ण करवायेंगे।

चार सदस्यों का नामांकन परगना मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा जिनमें से दो पुरुष एवं दो महिला सरपंच होंगे। इन चार नामांकित सदस्यों में से एक पुरुष व एक महिला सरपंच अनुसूचित जाति/जनजाति की होगी। यदि प्रबन्धन समितियों में महिला सरपंच उपलब्ध न हो तो यह नामांकन प्रबन्धन समितियों के सदस्यों में से किया जा सकेगा।

क्षेत्रीय समिति के चयनित एवं नामांकित 11 सदस्य अपने में से परगना मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित राजपत्रित अधिकारी के पर्यवेक्षण में क्षेत्रीय समन्वयक (अध्यक्ष) का चयन करेंगे। परगना मजिस्ट्रेट तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में नामित अधिकारी को क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष के चयन हेतु मतदान का अधिकार नहीं होगा।

क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति का गठन उसी दशा में किया जायेगा जब क्षेत्र में पड़ने वाले आधे से अधिक ग्रामों में ग्राम वन एवं प्रबन्धन समितियां गठित हो जायें।

क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक त्रैमासिक होगी।

53. जिला परामर्शदात्री समिति का गठन :

प्रत्येक ऐसे जनपद में जिसमें नियम संख्या 3 से 9 के अधीन ग्राम वन/पंचायती वन और प्रबन्धन समिति का गठन हुआ हो एक जिला ग्राम वन परामर्शदात्री समिति का गठन किया जायेगा, जिसको आगे चलकर परामर्शदात्री समिति कहा गया है। परामर्शदात्री समिति में निम्न सदस्य होंगे

1.	जिला समन्वयक	अध्यक्ष
2.	जनपद के समस्त क्षेत्रीय समन्वयक	सदस्य
3.	जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी से अनिम्न अधिकारी	सदस्य
4.	जिले के प्रभागीय वनाधिकारियों में से वन संरक्षक द्वारा नामित प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य सचिव

क्षेत्रीय समन्वयक अपने में से जिला परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष, जिला परामर्शदात्री समिति अर्थात् जिला समन्वयक का चयन करेंगे। यह चयन जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के पर्यवेक्षण में उसी प्रकार सम्पन्न किया जायेगा, जैसा कि ग्राम स्तर पर सरपंच चयन हेतु धारा 3 से 9 प्राविधानित किया गया है।

जिला परामर्शदात्री समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी।

54. राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति

राज्य स्तर पर ग्राम वनों के प्रबन्धन की समीक्षा एवं नीति निर्धारण हेतु राज्य परामर्शदात्री समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी –

1.	वन मंत्री	अध्यक्ष
2.	जिला परामर्शदात्री समितियों के समस्त जिला समन्वयक	सदस्य
3.	सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन	सदस्य
4.	सचिव, वन, उत्तरांचल शासन	सदस्य
5.	सचिव, राजस्व, उत्तरांचल शासन	सदस्य
6.	अपर प्रमुख वन संरक्षक (ग्राम वन)	सदस्य सचिव

इस समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार यथासम्भव मार्च, मई अथवा जून में आहूत की जायेगी, जिसमें ग्राम वनों के प्रबन्धन एवं नीति निर्धारण सम्बन्धी समस्त बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी।

55. राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति, जिला परामर्शदात्री समिति एवं क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति में उल्लिखित जिला समन्वयक, क्षेत्रीय समन्वयक एवं नामित महिला एवं पुरुष सरपंच/प्रबन्धन समिति सदस्य का कार्यकाल उसी अवधि तक रहेगा। जिस अवधि के लिए ग्राम विशेष की आम सभा द्वारा उनको समन्वयक/प्रबन्धन समिति सदस्य के रूप में चयन किया गया है।

56. अविश्वास प्रस्ताव द्वारा क्षेत्रीय समन्वयक/जिला समन्वयक को हटाया जाना

यदि सम्बन्धित क्षेत्रीय/जिला परामर्शदात्री समिति के सरपंच/क्षेत्रीय समन्वयक अपने कार्य क्षेत्र के क्षेत्रीय समन्वयक/जिला समन्वयक के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहें तो कम से कम एक तिहाई सरपंचों/क्षेत्रीय समन्वयकों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा जिलाधिकारी/परगनाधिकारी को अग्रिम सूचना देकर यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव लाये जाने के पश्चात् परगना मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी उसी दशा में क्षेत्रीय समन्वयक/जिला समन्वयक को हटा सकेंगे जब यह अविश्वास प्रस्ताव कम से कम दो तिहाई मत से पारित हो जाय।

57. जिला परामर्शदात्री समिति तथा क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के कर्तव्य

जिला परामर्शदात्री समिति तथा क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के अपने अपने कार्य क्षेत्र के कर्तव्य निम्नवत् होंगे

(क) प्रबन्धन समिति के कार्यों की समीक्षा।

(ख) ग्राम वनों की स्थिति सुधारने हेतु मार्गनिर्देश जारी करना।

(ग) प्रबन्धन समितियों को विभिन्न स्रोतों से धन की व्यवस्था करने में सहायता करना।

(घ) प्रबन्धन समिति को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करना।

58. सभी वर्तमान पंचायती वन/वन पंचायतें जो इस नियमावली के लागू होने से पूर्व शेडयूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट, 1974 के अधीन बनाये गये हों या कुमाऊं पंचायत फॉरेस्ट रूल्स के अधीन गठित किये गये हों या टिहरी राज्य प्रान्त पंचायती विधान सं0 1, 1938 के अधीन गठित किये गये हों या पंचायती वन नियमावली, 1976 या पंचायती वन नियमावली, 2001 के अधीन गठित किये गये हों, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से इस नियमावली के अधीन यथाविधि गठित और कार्य कर रही समझी जायेंगी।

आज्ञा से,

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 705/X-2-2005 20(1)/2005, dated January 23, 2006 for general information

NOTIFICATION

January 23, 2006

No. 705/X 2-2005-20(1)/2005– In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of section 28 read with section 76 of the Indian Forest Act 1927 (Act no XVI of 1927) and in supersession of notification no 3156/1 F R D 2001 8(15)/2001 dated 3 7 2001 (Uttaranchal Panchayat Forest Rules 2001 and notification no 730/1 F R D 2001 10(5)/2001 dated 26-12-2001 (Uttaranchal Village Forest Joint Management Rules 2001, the Governor is pleased to make the following rules -

THE UTTARANCHL PANCHAYATI FOREST RULES, 2005

1. Short Title, Extent and Commencement :

(a) These Rules may be called the Uttaranchal Panchayati Forest Rules 2005

(b) These Rules shall be applicable to the entire State of Uttaranchal

(c) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official Gazette

2. Definitions :

In these rules unless the context otherwise requires–

(a) Act means the Indian Forest Act 1927 (Act no XVI of 1927) (as amended from time to time in its application to Uttaranchal;

(b) Collector means the Collector of a district and includes any other officer appointed in this behalf by the State Government to work under the overall charge of the Collector of district

(c) Range Officer Van Daroga (*Forester*) Van Rakshi (*Forest Guard*) Sarpanch and Member of Forest Panchayat Management Committee shall mean respectively an officer holder having territorial jurisdiction of a Village Forest/Panchayati Forest,

(d) Sarpanch means the Chairperson elected by the Management Committee constituted at the village level

(e) Regional Coordinator and District Coordinator means person elected at the regional level by the Sarpanches of the Management Committees of the region and at the district level by the Regional Coordinators of the District Advisory Committee

(f) Composite Management Plan means the management plan made for all the Village Forests/Panchayat Forests situated within the jurisdiction of a Divisional Forest Officer for a period of five years in accordance with the silvicultural principles and sustainable development. The plan will be in the shape of a single document with two or more volumes and will consist of general description of village Forests/Panchayati Forests and the guiding principles for the preparation of micro plans for the protection and management of individual Village Forests/Panchayat Forests

(g) Forest Officer Forest Offence Forest Produce Cattle and Tree shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Indiam Forest Act, 1927,

(h) Panchayat Forest (Village Forest Management Committee or Forest Panchayat which has been termed as Management Committee means a management committee constituted for the management of a Village Forest/Panchayat Forest under these rules and includes the Village Forests/Panchayati Forests constituted prior to the date of the commencement of these Rules under Panchayat Forest Rules 1931 Panchayat Forest Rules 1976 or Uttaranchal Panchayat Forest Rules, 2001 or to be constituted in future.

(i) Micro Plan means the scheme of management of a individual Village Forest/Panchayat Forest made for five years

(j) Annual Implementation Plan means a plan of execution made for one year in accordance with the Micro Plan' of the Village Forest/Panchayati Forest,

(k) Panchayat Forest means the existing area of a Panchayati Forest on the date of commencement of these rules and includes any area (outside the municipal or cantonment limits) which has been duly constituted as such under these rules and shall have the same meaning as has been assigned to the Phrase Village Forest in the sub-section (1) of section 28 of the Act which has been called Village Forest/Panchayati Forest in these Rules;

(l) Right holder means such person who is Bhumidhar of the village where a Village Forest/Panchayat Forest has been constituted or a person who has been given right to graze cattle collect fodder fuel and timber in the Village Forest/Panchayat Forest under law or any order of the court. Such landless persons who have been residing in that village continuously for ten years where such Village Forest/Panchayat Van has been constituted are also included here.

(m) State Government means the State Government of Uttaranchal.

(n) Village means any village shown in the list of villages maintained under section 31 of the U.P. Land Revenue Act, 1901 (as applicable to Uttaranchal) and includes any village whose boundaries have been demarcated under a revenue settlement carried out in accordance with the said Act.

(o) General body means the group of adults of a village assembled in a convenient place as per the instructions of the Sub-Divisional Magistrate after the demarcation of the Village Forest/Panchayat Forest has been done as per Rule (4) and (5).

(p) Self Help Group/Forest Users Group means the members of the general body who are jointly interested in the management and development of forests and are dependent on the forest produce of the Panchayati Forest for their livelihood. Not more than one member from a family shall be included in this group.

(q) Adult means a person of eighteen years or more in age.

(r) Family means the names of the members entered in the records of the Gram Panchayat.

(s) Village Forest Fund/Panchayati Forest Fund means the income received by Management Committee from different sources under Rule 28.

(t) Gram Sabha and Pradhan shall have the same meaning as assigned to it in the U.P. Panchayat Raj Act, 1947 (as applicable to Uttaranchal).

3 Constitution of Village Forest (Panchayati Forest)

Procedure to apply for demarcation of Village Forest (Panchayati Forest)

On the application made by at least one fifth of the adult residents who have resided in the revenue village including any land bordering the village which has been constituted as Reserve Forest or declared a Protected Forest or is a forest belonging to the Government or on the resolution passed in the meeting of the concerned Gram Sabha, the Sub-Divisional Magistrate concerned shall start the proceeding in this regard on the recommendation of the Forest Department.

Provided that no land shall be declared to be Village Forest/Panchayat Forest if half or more of the residents of the village or villages within which the area lies enter objections to the scheme. The application form shall specify as nearly as possible the situation and the limits of the area applied for.

4. Issue of notice regarding the area applied for and hearing of claims and objections .

On receipt of the application under Rule 3, the Sub-Divisional Magistrate shall cause service of a notice in the concerned village and for wider publicity make public announcements and shall also cause a copy of the notice to be affixed to some public place in the concerned villages and in the adjacent villages and in all the villages recorded in a forest settlement as having rights or concessions in the area concerned. The notice shall specify the situation and limits of the area applied for and the purpose for which it is required and shall indicate the date by which the claims and objections to the application if any, should be filed as also the date when the said claims and objections shall be heard.

5 Decision on claims/objections, demarcation of Village Forest/Panchayati Forest and appeal against the decision :

a On the date so fixed or on any subsequent date to which the proceedings may be adjourned, the Sub-Divisional Magistrate shall hear the claims and objections, if any, and decide the same if there

is any dispute as to the boundaries he may decide the same in a summary manner and proceed with the demarcation of the proposed Village Forest/Panchayat Forest on the basis of his own decision. He may accept the applications in whole or in part and may prescribe conditions on which the same shall be accepted. In case he rejects the application in whole or in part he shall record his reasons thereof. In the case of Reserved Forests the application will not be accepted without the approval of the State Government.

b) Any person aggrieved by the decision under sub-rule (a) of Rule 5 may prefer an appeal to the Collector within thirty days from the date of decision and the Collector shall hear and decide the appeal expeditiously.

6. (a) **Rights of users :**

In Village Forests/Panchayat Forests constituted from reserved forests only those persons whose rights are recorded in the list of rights shall be allowed to exercise rights of users in such forests. These rights will also be exercised by landless people who have been residing in that village continuously for ten years where such Village Forests/Panchayat Forests have been constituted.

6. (b) **Duties of users :**

The users who are entitled for the rights as per Rule 6(a) shall have the following duties :

1) Provide help in forest fire control in case of incidence of forest fire in the concerned Village Forest.

2) In case of any forest offence such as encroachment, illicit grazing or illicit felling, its information shall be immediately given to the Management Committee.

(3) Provide support for protection of old plantations established earlier or plantations carried out by the Management Committee.

7. **Constitution of General Body and Management Committee :**

(1) a, When the Village Forest/Panchayat Forest is demarcated under Rules 4 and 5 the Sub-Divisional Magistrate shall call upon the adult residents of the village to assemble at a convenient place and such assembly of people will be called General Body. The General Body shall act as a Self Help Group forest users. The General Body shall constitute a Management Committee in the presence of an officer nominated by the Sub-Divisional Magistrate.

A notice in writing in this regard shall also be served upon the concerned Patwari and Pradhan of the concerned Gram Sabha. The Committee shall consist of nine members. Only one member from one family shall be eligible for it. Four seats shall be reserved for women out of which one shall be from Scheduled Casts or Scheduled Tribe. One seat out of the remaining five seats shall be reserved for the male members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If member of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes does not reside in the villages concerned then the aforesaid seats shall be treated as unreserved. As far as possible the Management Committee shall be constituted unanimously. If it is not possible then it will be done by majority vote by raising hands in the presence of a designated officer.

b) When the Management Committee has been duly constituted they shall elect a Sarpanch from amongst themselves by majority vote. On completion of the proceedings the Sub-Divisional Magistrate shall enter the names of the members and the Sarpanch in the Forest Panchayat register and obtain their signatures on the said register.

(c Any Government servant or any employee of a local body/Panchayat Raj Management Committee or any person who is in arrears of Village Forest/Panchayat Forest dues and any person convicted for an offence involving moral turpitude or booked for any offence under any Forest Act or Wild life Act shall not be eligible for election as a member of the Committee or as a Sarpanch.

(d) No Sarpanch shall be eligible for election as Sarpanch for more than two consecutive terms at a time.

8. **Election Review and appeal :**

(a) Any right holder residing in the village who is aggrieved with the election of any members or any member who is dissatisfied with the election of Sarpanch may present an application to the Sub-Divisional Magistrate along with the grounds within thirty days from the date of election. The Sub-Divisional Magistrate shall dispose of such application within thirty days as far as practicable.

(b) Any person aggrieved by an order under sub-rule (a) may within thirty days from the date of order prefer appeal to the Collector and the Collector shall dispose of such appeal within thirty days as far as practicable.

9. Declaration of constitution of Management Committee :

Sub-Divisional Magistrate will finally declare the Committee having formally constituted and declaration will consist the names of persons of General Body Sarpanch and members of the Management Committee

10. Intimation about Consitution of Village Forest (Panchayati Forest) and Management Committee

The Sub-Divisional Magistrate shall send intimation about the Constitution of General Body Village Forest/Panchayati Forest and Management Committee under these rules to the Commissioner the Conservator of Forests, the Collector and the Divisional Forest Officer concerned

11. Composite Management Plan :

The Divisional Forest Officer shall prepare a Composite Management Plan for all the Village Forests/Panchayati Forests within his/her control for a period of five years and submit to the Conservator of Forests for approval and the Conservator of Forests shall accord his approval with or without modifications within sixty days

12. Microplan .

It shall be obligatory on the part of a Management Committee to prepare a micro plan on the basis of guiding principles given in the Composite Management Plan for the management and protection of village Forest Panchayati Forest for a period of five years with the assistance of the concerned Deputy Ranger/Forester of Forest Guard as may be convenient from administrative point of view after due consideration to the requirement of the right holders and ensuring the ecological balance of the region. The micro plan will be placed before the General Body of all the right holders/Self Help Group by the concerned Forest Range Officer for its approval before it is finally sanctioned by the concerned Sub-Divisional Forest Officer. It shall be the duty of the Committee to strictly follow the prescriptions of the finally approved micro plan

13. Annual Implementation Plan :

Every year Management Committee will prepare an Annual Implementation Plan for the Management and development of Village Forests/Panchayati Forests with the help of Forester Forest Guard on the basis of sanctioned micro plan and will get it approved by Forest Range Officer by first of September. When this is done the prescriptions of such annual implemental on plan will become operative.

14. Functioning of Management Committee :

The Committee shall start functioning after the annual implementation plan has been approved by the Forest Range Officer

15 Terms of the Sarpanch and member of the Management Committee

(a) The term of the Sarpanch and members shall be five year and Management Committee shall have the power to fill up casual vacancies for the rest of the term thereof in accordance with the procedure laid down in rules 7 to 9

(b) Preparation for the election to the Management Committee shall be initiated by the Sub-Divisional Magistrate at least six months before the expiry of the term of existing Forest Panchayat constituted under the earlier arrangement and Management Committee constituted under these Rules as the case may be under intimation to the Collector and Divisional Forest Officer.

(c) In case the term of Management Committee expires and election for constituting new Management Committee could not be held for some unavoidable reason Collector shall have the power to extend the term of Management Committee for a period of six months and during the enhanced term he shall ensure the election of the Management Committee

16. Meeting of the Management Committee and its proceedings :

(a) Management Committee shall hold its meeting every month on a fixed date. The proceeding of the meeting shall be recorded in Hindi in a register and a copy shall be given to the Forest Range Officer just after the meeting

Provided that an emergent meeting may be convened by the Sarpanch either [illegible] the written requisition of not less than one-half of members of the Management Committee [illegible] time after giving at least one day notice.

(b) All decisions of the Management Committee shall be taken by majority vote of [illegible] members present and voting.

(c) The quorum of Management Committee shall be five members including Sarpanch [illegible] Committee.

(d) Deputy Ranger, Forester or/and Forest Guard may attend Management Committee meeting but they will not be entitled to vote.

(e) Forest Guard/Forester/Deputy Ranger shall be the Secretary of the Management Committee and any right holder of the Village Forest/Panchayati Forest who has been selected after [illegible] passed in the meeting of Management Committee shall be Additional Secretary of the Management Committee to assist the Secretary in the discharge of his duties.

(f) It shall be the duty of the Sarpanch to convene a meeting of the General Body [illegible] year especially [illegible] April and October where Sarpanch will apprise them about the [illegible] work of the Village Forest/Panchayati Forest, expenditure and revenue thereof and shall [illegible] discussion. The proceeding of this meeting shall be sent to the Forest Range Officer. The [illegible] will be required to intimate their suggestions and problems in the General Body meeting and [illegible] give their suggestions regarding development of Village Forest/Panchayati Forest, if any.

17. Removal of Sarpanch or members by vote of no confidence :

(a) The Sarpanch of a Management Committee may be removed from office if a vote [illegible] confidence is moved under prior intimation in writing to the Sub-Divisional Magistrate by not [illegible] third of the total members of the Management Committee and passed by a majority of not [illegible] two-third of the total members of the Management Committee.

(b) If majority of the Management Committee members consider it necessary to remove [illegible] individual member, the Sarpanch shall report the fact to the Sub-Divisional Magistrate. An [illegible] nominated by the Sub-Divisional Magistrate shall proceed to the village and shall ascertain [illegible] of persons entitled to vote and shall act accordingly. If a member is removed the [illegible] by the Sub-Divisional Magistrate shall immediately call on the voters assembled [illegible] new member for the unexpired portion of the term of the member so removed and send [illegible] to the Sub-Divisional Magistrate for approval.

(c) General Body may bring a proposal of no confidence against Sarpanch or [illegible] of the Management Committee after passing a resolution with majority vote. A written [illegible] of such proposal signed by not less than one fifth of the members of General Body [illegible] to the Sub-Divisional Magistrate at least 15 days before the meeting of General Body. The [illegible] Divisional Magistrate or an officer nominated by him shall proceed to the village and [illegible] the wishes of persons entitled to vote and shall act accordingly. If Sarpanch/Member is [illegible] the Sub-Divisional Magistrate shall act according to the provisions of Rule 17 [illegible] unexpired portion of the term of the Sarpanch/Member so removed.

18. Exploitation and Utilization of forest produce :

(a) The extent of exploitation of any forest produce from the Village Forests/Panchayati [illegible] shall be as provided in the micro plan and no forest produce shall be exploited unless [illegible] ecological requirements of the area are ensured by Village Forest/Panchayat Forest.

(b) All customary rights of the rights holders such as collection of fallen fuel wood, [illegible] branches of trees, cutting of grass, shall continue to be governed under the provisions of [illegible]

(c) After fulfilling the requirement under sub-rules (a) and (b), the Management Committee [illegible] a resolution passed by it and with prior approval of Divisional Forest Officer, may [illegible] forest produce for the *bonafide* domestic use of right holders or the local cottage [illegible] village industries or for the work of public utility.

(d) After fulfilling the requirements as provided under sub-rules (a), (b) and (c), if the Management Committee feels that it has exploitable trees or other forest produce for commercial sale within its forests, it shall apply to Forest Range Officer who shall forward the application after preparing an estimate of its value with his comments and recommendations to the Divisional Forest Officer for orders, on receipt of which further action for exploitation and selling by auction of the trees or other forest produce shall be taken by the Assistant Conservator of Forests/Sub-divisional Forest Officer under appropriate Rules.

(e) Subject to the provisions of sub-rule (d), in special circumstances Sarpanch may sanction the sale of one tree at scheduled rate issued by the Conservator of Forests to only right holders to meet their requirement for their emergent and urgent bonafide community or domestic use.

Provided that–

(1) A resolution of sanction is passed in the meeting of Management Committee and the consent of more than half of the Management Committee members is obtained in writing prior to sale.

(2) It will be compulsory for the Sarpanch to mark such tree with the stamp hammer of the Management Committee prior to its felling.

19. **Duties of Management Committee :**

The duties of a Management Committee within its jurisdiction shall be–

(a) to prepare a five year microplan and Annual Implementation Plan for the Village Forest/Panchayat Forest and submit it to Forest Range Officer and Sub-Divisional Forest Officer for approval and sanction respectively;

(b) to protect the trees from damage and to use only those trees which have been marked silviculturally for felling by the official nominated by the Divisional Forest Officer;

(c) to ensure that no land of Village Forest/Panchayati Forest area is encroached upon;

(d) to fix boundary pillars, to make boundary walls and to protect them;

(e) to abide by the directions and executive orders passed by the Divisional Forest Officer regarding conservation and improvement of forests;

(f) to utilise the forest produce to the best advantage of the right holders keeping in view the silvicultural health and sustainable resource management of the Village Forest/Panchayat Forest;

(g) to protect the forests from illicit felling of trees, lopping, fire and other damages and to prevent them;

(h) to ensure that catchments areas of water sources are adequately wooded with appropriate trees and vegetation to maximize rain water conservation;

(i) to promote natural regeneration through management of forest fires and controlled grazing by excluding from grazing at least one fifth area annually by rotation;

(j) to ensure conservation of wild life.

20. **Powers of Management Committee :**

Management Committee shall have the status of a forest officer and shall exercise the following powers for the area entrusted to it–

(a) To compound forest offence committed within the village Forest/Panchayat Forest by a sum of money up to the limit of Rupees five hundred, for each offence by way of compensation according to the nature of offence.

Provided that if the offender is prepared to compound the case, the Management Committee shall realize the full market value of the property involved in the offence, as assessed by an officer not below the rank of a Divisional Forest Officer/Conservator of Forests concerned or at the prescribed scheduled rate in addition to the compensation referred to in this rule.

(b) To institute and defend suits and proceedings in respect of claims arising under these Rules.

(c) To regulate grazing and admission of the cattle into the Village Forest/Panchayat Forest.

(d) To impound cattle trespassing into the Village Forest/Panchayat Forest in accordance with the Cattle Trespass Act, 1871

(e) To exclude from any or all privileges in the Village Forest/Panchayat Forest any person whom the Management Committee may for sufficient grounds considers to be responsible for damage or damage to the Village Forest/Panchayat Forest area or who does not obey orders of the Management Committee in exercise of the powers conferred on it

(f) To seize all tools or weapons used in committing forest offences within the area of Village Forest/Panchayati Forest

(g) To make local sale of forest produce without detriment to forest and to issue permits and charge fees for grazing or cutting grass or collection of fallen fuelwood with prior approval of the Divisional Forest Officer if considered necessary and made for the *bonafide* use of the right holders. Provided further that the permission of the Divisional Forest Officer would not be necessary for allowing grazing or cutting of grass or collection of fallen fuelwood

(h) To extract and sell resin in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Resin and other Forest Produce (Regulation of Trade) Act 1976 (as applicable to the Uttaranchal)

(i) Management Committee after getting approval from the General Body may enter into agreement with Self Help Group or a member as a group or individual member (as the case may be) for proper management improvement protection and development of the Village Forest/Panchayat Forest in its jurisdiction

21. Power to frame bye-laws :

The Management Committee may frame bye-laws for the distribution of forest produce to the persons entitled thereof for regulating grazing cutting of grass and collection of fuelwood ... administrative expenditure and for any other purpose consistent with these rules ... shall come into force after consent of general assembly and shall be approved by the ... Forest Officer

22 Appointment of Staff :

Management Committee/Forest Panchayat may appoint such number of paid personnel on contract basis as may be considered necessary provided funds are continuously available ... such personnel with the Village Forest/Panchayat Forest. Power to remove such personnel ... vest with the Forest Panchayat/Management Committee

23. Maintenance of Registers and Records :

Every Management Committee shall maintain such registers books and records for such period as may be prescribed by the State Government or the Collector or the Divisional Forest Officer or the Microplan/Project.

24 Annual report of the working of the Management Committee

(1) The Management Committee shall submit to the Divisional Forest Officer before ... April each year an annual report of the working during the previous financial year ... a compiled report of his area to the Collector. The annual report for the Management Committee shall be compiled by the Deputy Forest Ranger or Forester as the case may be and shall contain the following informations :-

(i) A statement showing the utilisation of the Village Forest/Panchayat Forest ...

(ii) A statement showing the demand and realisation

(iii) A statement of income and expenditure,

(iv) A statement showing the utilization felling (whether for commercial purpose or *bonafide* domestic use of the right holders and local villagers) silvicultural and other ... and recuperative work carried out during the year. The statement should in particular show what measures were set down in the Micro Plan and what was actually done to e...

(v) Any other matter of importance.

(2) The Management Committee will submit an annual report of the working before the ... Assembly of the respective Gram Panchayat

25. Duties of Sarpanch :

(1) Unless prevented by a reasonable cause it shall be the duty of Sarpanch–

(a) to convene and preside over all meetings of Management Committee,

(b) to control and transact business and preserve order,

(c) to watch the finances and to supervise its administration and to bring any [illegible] the notice of the Management Committee,

(d) to supervise and control the staff and establishment maintained by [illegible] Committee,

(e) to carry out the resolutions of the Management Committee,

(f) to arrange for the maintenance of the various registers and to carry out a [illegible] on behalf of the Management Committee,

(g) to institute civil suits and launch prosecution on behalf of the Management Co[illegible]

(h) to nominate in writing a member of the Management Committee for the functi[illegible]anch in his absence.

(2) The Sarpanch shall use the seal of Sarpanch inscribed with the name of [illegible] Committee only in the presence of two other members of the Management Com[illegible] shall also sign to mark their presence.

(3) The member nominated by the Sarpanch under clause (h) of sub-rule (1) shall du[illegible] of the Sarpanch exercise all the powers and perform all the duties of the Sarpanch [illegible] or assigned to him under these rules. If the Sarpanch fails to make any such nominat[illegible] of the Management Committee may elect anyone of the members present at [illegible] the meeting as the acting Sarpanch to conduct the meeting.

(4) The Sarpanch will have the power to incur expenditure upto one thousand rupees [illegible] an advance up to this limit from the Village Forest/Panchayati Forest Fund in anticipatio[illegible] of the Forest Panchayat for performing his duties under these rules.

26. Resignation of Sarpanch :

The Sarpanch of a Management Committee may resign his office by a written letter a[illegible] the Sub-Divisional Magistrate and signed by him and attested by a local Revenue Officer. S[illegible] shall be given to the Sub-Divisional Magistrate in person or be sent to him by registered pos[illegible] shall become vacant on the acceptance of the resignation.

27. Transfer of charge of Sarpanch :

A list of all records, funds and property shall be prepared whenever the charge of Sarp[illegible] handed over and the persons handing and taking over charge shall sign the list in token of [illegible] the copies of this list signed by both the persons shall be given to the Sub-Divisional Fores[illegible] the person taking over Charge. In case of any dispute about any record, fund or property [illegible] persons shall be entitled to note down their observations at the end of the aforesaid list.

Revenue and Expenditure

28. Village Forest/Panchayati Forest Fund :

(1) A Village Forest/Panchayati Forest Fund shall be created for every Management [illegible] and the income from the following sources shall be deposited in it–

1. The sale proceeds of forest produce,

2. Government grants,

3. Any other source of revenue.

Money being the share of Committee/Body constituted under earlier Rules lying un[illegible] the Collectors shall be deposited without unreasonable delay in the saving bank accou[illegible] the name of the Management Committee in a Post Office, a Nationalized Bank, Sched[illegible] Co-operative Bank and shall be operated jointly by the Sarpanch and the Secretar[illegible] Village Forest/Panchayati Forest.

(2) All withdrawals from the Bank shall be made with the prior approval of Management C[illegible] and details of the amount withdrawn and expenditure incurred shall be placed before the [illegible] Body meeting of all the right holders in their next meeting.

(3) The procedure for incurring expenditure and its accounting shall be in accordance [illegible] orders issued by the State Government from time to time.

29. Management of Village Forest/Panchayati Forest Fund.

(1) The Panchayat Forest Fund shall be managed by the Management Committee u[illegible] general direction of the Divisional Forest Officer.

(2) Money due to a Management Committee shall be paid to a member authorized by th[illegible] or the Secretary in this behalf and receipt for the money received shall be issued [illegible] person receiving it in Form No. 2.

(3) An account with cheque facilities shall be opened by the Sarpanch in the name of th[illegible] ent Committee in the nearest Post Office, Nationalized Bank, Scheduled Bank, or Co-o[illegible] Bank. The account shall be operated by the Sarpanch. All the withdrawals shall be by cheq[illegible] shall be jointly signed by Sarpanch and the Secretary of the Management Committee.

30. Determination of net income from forest produce and distribution and utilization there[illegible]

(1) The net income from the sale of resin and other forest produce shall be determined a[illegible]

(a) Forest Department shall take the actual expenditure incurred in resin tapp[illegible] such overhead as may be determined from time to time by the State Government.

(b) As regards the other forest produce, Forest Department shall charge ten p[illegible] sale proceeds as administrative expenditure.

(2) Net income which is determined from the sale of Resin and other forest produce and [illegible] from other sources such as compensation amount and fees etc. shall be depos[illegible] age Forest/Panchayat Forest Found and its distribution and utilization shall be done [illegible] ing manner :

(a) 30% (thirty percent) to the Gram Panchayat for development purpose i.e. for [illegible] ion of projects of public utility.

(b) 40% (forty percent) for development and maintenance of village forest by the [illegible] ent Committee.

(c) 30% (thirty percent) for projects of local utility and their maintenance by the [illegible] ment Committee.

The proposals for these expenditures shall be passed in the annual meeting of the G[illegible] in the form of a project.

(3) All payment exceeding rupees five hundred shall be made through cheques jo[illegible] by Sarpanch and Secretary of Forest Panchayat.

30. (a) Distribution and Utilisation of Income under Plantation Employment Scheme (p[illegible] tain and earn) :

In case of entering into contract with Self Help Group or a member as a group or indivi[illegible] he powers given to the Management Committee under Rule 20(i) the distribution of income [illegible] the following manner :—

(a) 15 percent of the income from the forest produce will go to the Gram Panchayat.

(b) 15 percent of the income from the forest produce will be deposited in the Village F[illegible] for development of Village Forest.

(c) 70 percent of the income from the forest produce will go to members of the group o[illegible] ner as mentioned in the agreement.

In case where there are more than one revenue Villages/Gram Panchayats i[illegible] age Forest/Panchayati Forest, the 15 percent amount will be distributed in equal proportion.

Budget, Accounts and Audit

31. Annual Budget

Every Management Committee shall prepare and pass an annual estimate of its income and expenditure (hereinafter referred to as the annual budget) for the financial year commencing from 1st April and allocate funds out of its income to discharge its duties under these Rules. A copy of the annual budget shall be sent to the Divisional Forest Officer for sanction who may make such modifications therein for reasons to be recorded in writing as he thinks fit. The annual budget shall be passed by the 31st December of the preceding year and the Divisional Forest Officer shall accord his sanction by the following 31st March.

32. Modification and changes in annual budget :

A Management Committee may, at any time after the annual budget takes effect, carry out any modification or changes therein by adopting a resolution in this behalf. The Sarpanch shall send a copy of this resolution to the Divisional Forest Officer who may make modifications and changes in the annual budget.

33. Accounts :

A proper account of all income and expenditure of the Management Committee shall be maintained by the Sarpanch. The accounts shall be closed and balanced at the end of every month and shall be examined by the Management Committee at a meeting in the next month and passed.

34. Audit of accounts :

(1) The audit of the accounts of every Management Committee shall be done under the control of the Chief Audit Officer to Government Co-operative Societies and Panchayats, Uttaranchal at such intervals and in such manner as the State Government may direct. The Sarpanch shall be responsible for production of the records of Management Committee for audit.

(2) The Sub-divisional Forest Officer will nominate three right holders to carry out internal audit for every financial year and such audit reports shall be put up to the Divisional Forest Officer for perusals.

35. Disposal of audit objections :

The audit objections shall be discussed at a special meeting of the Management Committee summoned by the Sarpanch within a month of receipts of the same and the action to be taken in respect of them shall be decided. The action decided to be taken shall be communicated and detailed report of the audit objections shall be submitted to the Divisional Forest Officer as soon as possible and a record shall be kept and produced for the inspecting officers.

36. Report of embezzlement :

Whenever any embezzlement of money belonging to the Village Forest Fund is discovered by the Sarpanch or any other official the facts of such embezzlement shall be immediately brought to the notice of the Management Committee and the Divisional Forest Officer who shall immediately inform the same to the Collector.

37. Inquiry about embezzlement of money :

The Collector shall on receiving a report under rule 36, institute an enquiry forthwith.

38. Suspension of member or Sarpanch :

Where an enquiry is contemplated or is pending against a member or a Sarpanch of a Management Committee, Collector may suspend such member or Sarpanch and order him to hand over the records, money or any other property of the Committee to the person authorized by him in this behalf.

39. Removal of member of Management Committee or Sarpanch :

The Collector either on his own or on receipt of complaint may, after enquiry made by him or by an officer not below the rank of Sub-Divisional Magistrate, remove such member or Sarpanch of a Management Committee if he--

(i) refuses to act, or becomes incapable of acting due to some reasons or is convicted of an offence involving moral turpitude.

(ii) has abused his position or has persistently failed to perform the duties imposed by the [illegible]

(iii) is found guilty of a forest offence

(iv) misbehaves or indulges in physical violence in any meeting of the Management Comm[illegible]

(v) acquires any of the disabilities under these Rules,

(vi) remains absent without any valid reason in three consecutive meetings of the [illegible]ment Committee

Provided that a member or Sarpanch of a Management Committee shall not be remo[illegible] he has been given an opportunity to show cause why he should not be removed from his [illegible]

40. Appeal against order passed under Rule 38 and Rule 39 :

Any person aggrieved by an order under Rule 38 and Rule 39 may appeal to the Comm[illegible] within thirty days of the order

41. Handing over charge of Office of Sarpanch :

Any person vacating an office of the Sarpanch on account of resignation, removal or [illegible]ng of no confidence motion or suspension, shall forthwith handover the charge of his office to a [illegible]er of the Management Committee nominated by the Collector in this behalf

42. Nomination of temporary Sarpanch :

Where the Sarpanch of a Management Committee is suspended or the office of the [illegible] has otherwise become vacant, the Collector may nominate in writing a member of the [illegible]ent Committee as a temporary Sarpanch and he will exercise all the powers and perform all th[illegible] the Sarpanch until he is reinstated or as the case may be a new Sarpanch is elected. The [illegible]anch shall be elected within six months of the office of the Sarpanch becoming vacant

43. Suspension, Supersession or Dissolution of Management Committee :

The Collector may suspend, supersede or dissolve any Management Committee if in h[illegible]ugh Management Committee abuses its position or is found negligent in the discharge of [illegible]osed upon it under these Rules or if its continuance is not considered desirable in public interes[illegible]

44. Appeal against orders passed under Rule 43 :

The orders passed by the Collector under Rule 43 shall be subject to the orders passed o[illegible]sion filed, if any by the Commissioner. The period of limitation for filing the revision shall be th[illegible]rom the date of the passing of the order by the Collector

45. Temporary management of Management Committee :

When a Management Committee is dissolved, suspended or superseded, the Collector m[illegible] an officer not below the rank of Sub-Divisional Forest Officer for the temporary manag[illegible] the Management Committee till a new Management Committee is reconstituted

46 Re-constitution of Management Committee

It shall be obligatory on the part of Collector to reconstitute new Management Committee [illegible]od of six months from the date of supersession or dissolution of a Management Committee un[illegible]

47 Recovery of Management Committee dues :

All money due to a Management Committee may be recovered as arrears of land revenue [illegible]n 82 of the Act

48. Execution of Forest Development Work by Forest Department at the Cost of M[illegible]ement Committee:

In case a Management Committee having the necessary funds does not carry [illegible] forest development work prescribed by the composite plan in force, then such forest developmen[illegible] may be carried out by Divisional Forest Officer at the expense of the Management Committee

49. Power to prohibit, rescind or modify the execution of resolution, direction or orde[illegible]ed by Management Committee :

The Divisional Forest Officer may, by order in writing, prohibit, rescind or modify the e[illegible] of a resolution, direction or order passed by a Management Committee or by any of its o[illegible] this

opinion such resolution direction or order is of a nature as to cause obstruction annoyar , to public or public interest or is against the provisions of these Rules

50 Inspection of working of Management Committee by Officials :

(1) Collector Sub-Divisional Magistrate Divisional Forest Officer Sub-Divisiona Fores and Forest Range Officer wi inspect Village Forests and the functioning of Manageme ees under their jurisdiction and review its working from time to time.

(2) Copy of such inspection reports shall be forwarded to Divisional Forest Officer wh will take appropriate steps as he deems proper

51 Inspection of Village Forests and functioning of Management Committees by ber of Parliament, Legislatures etc. :

The Members of Parliament Members of the Legislative Assembly and Adhyaksha Zila Pa ha be entitled to inspect any Panchayat Forest Village Forest) or working of Manageme ttee within the area they represent

52. Constitution of Kshetriya Paramarshdatri Samiti :

There will be 13 members of the Kshetriya Paramarshdatri Samiti The constitution of this y be as under–

(1)	Regional Coordinator	Adhyaksh	one
(2)	Sarpanch elected from the region	Member	six
3	Sarpanch nominated by the four Sub-Divisional Magistrate	Member	
(4)	Officer nominated by the one Sub-Divisional Magistrate (not below the rank of Block Development Officer)	Member	
(5	Forest Range Officer nominated one by the Divisional Forest Officer	Member Sec	

The Sarpanch of the Management Committees of the region shall elect seven members amongst themselves for Kshetriya Paramarshdatri Samiti For this purpose Sub-Divisional M a nominate some gazetted officer and get the procedure of election completed by calling a to the Sarpanch of the Management Committees of the region

Four members will be nominated by the Sub-Divisional Magistrate out of which two Sa be male and two female Out of these four nominated members one male and one female Sa be of Scheduled Caste/Tribe If female Sarpanch are not available in the Manageme es nomination may be made from the members of the Management Committees

The nominated and elected 11 members will elect Regional coordinator (Adhyaksh) amongst themselves under the supervision of a gazetted officer nominated by the Sub-Divisional Ma a The officer nominated by the Sub-Divisional Magistrate and the Divisional Forest Officer as c he Kshetriya Paramarshdatri Samiti shall not have the voting right to elect the Adhyaksh o shetriya Paramarshdatri Samiti

The constitution of Kshetriya Paramarshdatri Samiti shall be done only after the Villag s and Management Committees have been formed in more than half villages in the region

The meeting of the Kshetriya Paramarshdatri Samiti shall be held once in three months

53. Constitution of Zila Paramarshdatri Samiti :

In every district where Village Forest and Management Committee under Rules 3 to been constituted a Zila Village Forest Paramarshdatri Samiti shall be constituted which here a ed Paramarshdatri Samiti The Pramarshdatri Samiti shall consist of the following members

(1)	District Coordinator	Adhyaksh
(2)	All Regional Coordinators of the district	Members
(3)	Officer nominated by the Collector (not below the rank of Additional District Magistrate)	Member

(4) Divisional Forest Officer nominated by the Conservator of Forests from amongst the Divisional Forests from amongst the Divisional Forest Secretary Officers of the district — Member

Regional Coordinators shall elect from amongst themselves Adhyaksh District Paramarsh... or District Coordinator. The election will be held under the supervision of the officer nom... the Collector in the manner as is provided under Rules 3 to 9 for the election of Sarpanch at the ...

Meeting of District Paramarshdatri Samiti shall be held at least two times in a year.

54. State-Level Paramarshdatri Samiti :

At the State Level for the review of the management of Village Forests and for decid... State Paramarshdatri Samiti shall be constituted as under —

(1)	Forest Minister	Chairperson
(2)	All District Coordinators of the District Coordinating Committees	Members
(3)	Secretary, Rural Development, Government of Uttaranchal	Member
(4)	Secretary, Forests, Government of Uttaranchal	Member
(5)	Secretary, Revenue, Government of Uttaranchal	Member
(6)	Additional Principal Chief Conservator of Forests (Village Forests)	Member Sec...

The meeting of this Committee shall be held at least once in a year as far as possible in M... June in which all the points related to management of Village Forests and policy issues shall be dis...

55. The term of District Coordinator, Regional Coordinator and nominated fema... ...ale Sarpanch/Management Committee members mentioned in the State Level Paramars... District Paramarshdatri Samiti and Regional Paramarshdatri Samiti will be for a period ... the General Body of the village have elected them as Coordinator/member of the Manageme...

56. Removal of Regional Coordinator/District Coordinator through no confidence motion

If Sarpanch/Regional Coordinator want to bring no confidence motion against t... ...ed Regional/District Paramarshdatri Samiti, the motion can be brought by one third of Sarp... ...nal Coordinators, as the case may be, by giving advance notice to the Collector/Sub-Divisior... After getting such a notice, Sub-Divisional Magistrate/Collector shall remove ... Coordinator/District Coordinator only when the no confidence motion is passed with at ... majority vote.

57. Duties of the District Paramarshdatri Samiti and Regional Paramarshdatri Samiti

Duties of the District Paramarshdatri Samiti and Regional Paramarshdatri Samiti in t... ...ve jurisdiction will be as under—

(a) To review the working of Management Committees.

(b) To issue guidelines regarding improvement in Village Forests.

(c) To help Management Committees in arranging funds from various sources.

(d) To assist Management Committees in discharging their duties.

58. All the existing Panchayat Forests/Forest Panchayats which prior to the commence... ...se Rules were constituted under the Kumaon Panchayat Forest Rules framed under the Sch... ...ict Act, 1874, or were constituted under Tehri Garhwal Rajya Prant Panchayat Vidhan N... or Panchayati Forest Rules, 1976 or Panchayati Forest Rules, 2001, shall be deemed to ha... ...y constituted and working under these Rules with effect from the date of enforcement of the...

By Order,

VIBHA PURI DAS,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 08 हिन्दी गजट / 72 भाग 1 2006 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या यू0ए0 … 03
(लाइसेंस टू पोस्ट … 3

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 फरवरी, 2006 ई0 (फाल्गुन 06, 1927 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ पत्र, नगर प्रशासन नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (… …) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी

कार्यालय, जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), हरिद्वा

अधिसूचना

06 फरवरी, 2006 ई0

संख्या 892 / पंचास्थानि / त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन (अधिसूचना) / 2006 राज्य … न उत्तरांचल की अधिसूचना पत्र संख्या 103 / रा0नि0आ0अनु0-2 / 635 / 2006 दिनांक 02-02-200… में उत्तरांचल राज्य के जनपद हरिद्वार की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सदस्यों के स्थानों … प्रतिनिधियों की मृत्यु, त्याग पत्र, अविश्वास प्रस्ताव या अन्य कारणों से रिक्त हो गये हैं तथा जो … के स्थगन आदेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन शीघ्र कराया जाना आवश्यक है।

2. अतः मैं आर0के0 सुधांशु, जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) हरिद्वार एतद्… हूँ कि उत्तरांचल राज्य के जनपद हरिद्वार में प्रधान, ग्राम पंचायत एवं सदस्य, ग्राम पंचायत के उक्त … स्थानों / पदों पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे।

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	[illegible]
1	2	3	4	5	
15-02-2006 एवं 16-02-2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	17-02-2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18-02-2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 13.00 बजे तक)	18-02-2006 (अपराह्न 13.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	02-03-2006 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	04… [illegible]

रिक्त पदों का विवरण

विकासखण्ड का नाम	रिक्त पद का नाम	ग्राम / ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	आरक्षण [illegible]
बहादराबाद	ग्राम पंचायत सदस्य	नूरपुर पंजन हेड़ी	10	[illegible]
		अलावलपुर	04	अनु०जा० महिला
रुड़की	ग्राम पंचायत सदस्य	बेड़पुर	03	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	खाताखेड़ी	08	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	खाताखेड़ी	10	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	नगला कुबड़ा	08	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	शंधढवाला	05	[illegible]
भगवानपुर	ग्राम पंचायत सदस्य	रुहालकी दयालपुर	09	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	सिकरोड़ा	15	पिछड़ा वर्ग
	ग्राम पंचायत सदस्य	खुब्बनपुर लतीफपुर	10	अनु० जाति महिला
	ग्राम पंचायत सदस्य	मानक मजरा	10	पि०व० महिला
	ग्राम पंचायत सदस्य	बेहड़की सैदाबाद	03	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	मजाहिदपुर सतीवाला	11	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	फतेहउल्ला तेलपुरा	11	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	अकबरपुर कालसो	08	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	लाम ग्रन्ट	07	[illegible]
खानपुर	ग्राम पंचायत सदस्य	चन्द्रपुरी डामर	04	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	चन्द्रपुरी खादर	09	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	मिर्जापुर मोहनावाला	03	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	मिर्जापुर मोहनावाला	04	[illegible]
लक्सर	ग्राम पंचायत सदस्य	भूरना	07	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	अकोढा औरंगजेबपुर	03	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	डुगरपुर	08	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	भोगपुर	15	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	मिक्कमपुर जीवपुर	04	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	जागहरखान उर्फ झीवरहेड़ी	06	[illegible]
नारसन	ग्राम पंचायत सदस्य	गाधारौना	06	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	नकीबपुर उर्फ घोसीपुर	08	पि० वर्ग
	ग्राम पंचायत सदस्य	सिकन्दरपुर मवाल	01	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	सिकन्दरपुर मवाल	06	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	सिकन्दरपुर मवाल	09	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	मुन्डियाकी	02	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	मुन्डियाकी	07	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	मुन्डियाकी	08	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	लिब्बरहेड़ी	06	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	मन्नाखेड़ी	02	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	उल्हेड़ा	03	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	नगला सलारू	01	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	नगला सलारू	02	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	नगला सलारू	07	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	मखदूमपुर	01	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	मखदूमपुर	09	[illegible]

विकासखण्ड का नाम	रिक्त पद का नाम	ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	[illegible]
नारसन	ग्राम पंचायत सदस्य	लहबोली	01	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	लहबोली	06	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	कोटवाल आलमपुर	12	[illegible]
	ग्राम पंचायत सदस्य	कुमराडी	08	[illegible]

3 सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी (प0)/रिटर्निंग अधिकारी अपने विकास खण्ड में सम्बन्धित [illegible] के प्रधानों तथा ग्राम पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने [illegible] सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व (15-02-2006) निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला निर्वा[illegible] को तत्काल प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय [illegible] में व्यापक प्रचार-प्रसार निःशुल्क कराया जायेगा तथा सम्बन्धित गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को [illegible] दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय [illegible] अधिकारी कार्यालय के सूचना पटों पर यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

4 उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947) (यथासंशोधित) अनुकूलन एवं [illegible] 2002 तथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन, [illegible] 1994) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 तथा तदधीन प्रख्यापित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार इ[illegible] में वही निर्वाचन-प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। इन पदों के लिए [illegible] पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य एवं सभी [illegible] क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

5 उक्त रिक्त पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री दिनांक 13-02-2006 से 16-02-20[illegible] अवधि में पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 16.00 बजे तक विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की [illegible] उक्त अवधि में अवकाश दिवसों में भी कार्यालय यथावत् खुल रहेंगे।

अधिसूचना

06 फरवरी, 2006 ई0

संख्या 893/पंचास्थानि/त्रि0 प0 उप निर्वाचन (अधिसूचना)/2006- राज[illegible] उत्तरांचल की अधिसूचना पत्र संख्या 104/रा0नि0आ0अनु0-2/635/2006 दिनांक 02-02-[illegible] से उत्तरांचल राज्य के जनपद हरिद्वार की क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के ऐसे सदस्यों के स्थानों [illegible] प्रतिनिधियों की मृत्यु, त्याग-पत्र, अविश्वास प्रस्ताव या अन्य कारणों से रिक्त हो गये हैं तथा [illegible] के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन शीघ्र कराया जाना आवश्यक है।

2 अतः मैं, आर0के0 सुधांशु, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (प0) हरिद्वार ए[illegible] हूँ कि उत्तरांचल राज्य के जनपद हरिद्वार में सदस्य, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य, जिला पंचायत के उक[illegible] स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	[illegible]
1	2	3	4	5	6
15-02-2006 एवं 16-02-2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	17-02-2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18-02-2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 13.00 बजे तक)	18-02-2006 (अपराह्न 13.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	02-03-2006 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	[illegible]

रिक्त पदों का विवरण

विकासखण्ड का नाम	रिक्त पद का नाम	ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड संख्या
लक्सार	सदस्य क्षे0 पंचायत	रायसी	24 रायसी

3–सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी (प0)/रिटर्निंग अधिकारी अपने से सम्बंधित विकास खण्ड ... तो के रिक्त हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना ... थम दिनाक से पूर्व (15 02 2006) निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को उप... सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में ... र निःशुल्क कराया जायेगा तथा सबंधित गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी ... नेक जानकारी हेतु क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत तहसील कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के सू... यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

4–उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम) यथासंशोधि... एवं उपान्तरण आदेश 2001 तथा उत्तरांचल उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सद...) नियमावली 1994 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 तथा तदधीन प्रख्यापित निर्वाचक नामाव... नुसार इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है ... के सदस्यों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा चुनाव ... का कार्य एवं सभी मतों की गणना क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

5 उक्त रिक्त पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री दिनांक 13–02 2006 से 16 02 20... में पूर्वान्ह 10 00 बजे से अपरान्ह 16 00 बजे तक विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की ... क्त अवधि में अवकाश दिवसों में भी कार्यालय यथावत् खुले रहेंगे।

आर0के0 सुधांशु,
जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (प0),
हरिद्वार।

कार्यालय, पंचायस्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा

प्रारूप 23, नियम–15

क्षेत्र पंचायतों के रिक्त पदों के उप निर्वाचन, 2006

08 फरवरी, 2006 ई0

पत्रांक 261/प0 निर्वा0/उप चुनाव/2005 उत्तर प्रदेश यथा संशोधित क्षेत्र पंचायत ... यत नियमावली के नियम 15 में दिये गये उपबन्धों तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निर्देशों के ... चन्द्र जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत दिनांक 02 फरवरी 2006 से पूर्व

2–संलग्निका में उल्लिखित क्षेत्र पंचायत के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों को उनके सम्बन्धित ... तों के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

नियम 14 के उपबन्धों तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में ... का निर्वाचन के लिए–

(क) नाम निर्देशन पत्र अर्थात् उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करने का दिनांक स्थान तथा समय।

(ख) नाम निर्देशन पत्रों अर्थात् उम्मीदवारी के पर्चों की जांच करने का दिनांक स्थान तथा समय

(ग) नाम निर्देशन पत्रों अर्थात् उम्मीदवारी के पर्चों के वापस लेने का दिनांक स्थान तथा समय

(घ) मतदान, यदि आवश्यक हो, का/के दिनांक तथा समय।

(ङ) मतगणना का स्थान, दिनांक तथा समय जैसा कि संलग्निका में उल्लिखित है निर्धारित करता [illegible]

संलग्निका **प्रारूप–23** सदस्य क्षे[illegible] [illegible]चायत

सदस्य क्षेत्र पंचायत के उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम-नाम निर्देशन पत्र अर्थात् [illegible] का पर्चा दाखिल करने वापस लेने के दिनांक तथा उप निर्वाचन दिनांक की सूची

1. नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का दिनांक व समय 16.02.2006 एवं 16.02.2006 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 17.00 तक)

2. नाम निर्देशन पत्र की जांच का दिनांक 17.02.2006 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

3. मतदान का दिनांक व समय 02.03.2006 (पूर्वान्ह 08.00 बजे [illegible] अपरान्ह 17.00 बजे तक)

4. मतगणना का दिनांक व सम[illegible] 04.03.2006 (पूर्वान्ह 08.00 [illegible] कार्य की समाप्ति तक)

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	निर्वाचन क्षेत्र नाम एवं संख्या	नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने तथा जांच का स्थान	नाम निर्देशन पत्र की वापसी का दिनांक, समय व स्थान	प्रतीक चिन्ह आवंटन की [illegible] व समय	[illegible]
1	सल्ट	जालीखान- 15	क्षेत्र पंचायत कार्यालय	18.02.2006 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 13.00 बजे तक)	18.02.2006 (अपरान्ह 1[illegible]0 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	(पू[illegible] [illegible]00 [illegible])
2	चौखुटिया	नाईस्वेत- 8 गटकोट- 9				
3	द्वाराहाट	कुन्स्यारी- 10				

प्रारूप 21, नियम–14

ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों के उप निर्वाचन, 2006 सद[illegible]/प्रधान

06 फरवरी, 2006 ई0

पत्रांक 262/प0 निर्वा0/उप चुनाव/2005 पंचायती राज नियमावली, 1994 के नियम 1[illegible] [illegible]हित नियम 6 में दिये गये उपबन्धों तथा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम [illegible] [illegible]न्द्र जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत दिनांक 02 फरवरी, 2006 से [illegible] [illegible]में उल्लिखित रिक्त ग्राम पंचायत सदस्यों/प्रधान ग्राम पंचायत निर्वाचित करने के लिए [illegible]

2 संलग्निका में उल्लिखित ग्राम पंचायत के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों को [illegible] से सम्ब[illegible] [illegible]ग्राम पंचायतों के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

नियम 14 के उपबन्धों तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में [illegible] [illegible]का निर्वाचन के लिए–

(क) नाम निर्देशन पत्र अर्थात् उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करने के दिनांक, स्थान तथा समय

(ख) नाम निर्देशन पत्रों अर्थात् उम्मीदवारी के पर्चों की जांच करने का दिनांक, स्थान तथा समय।

(ग) नाम निर्देशन पत्रों अर्थात् उम्मीदवारी के पर्चों के वापस लेने का दिनांक, स्थान तथा समय

(घ) मतदान, यदि आवश्यक हो, का/के दिनांक तथा समय।

(ङ) मतगणना का स्थान, दिनांक तथा समय जैसा कि संलग्निका में उल्लिखित है निर्धारित करता [illegible]

संलग्निका

प्रारूप 22

सदस्य ग्राम पंचायत

सदस्य ग्राम पंचायत के उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम नाम निर्देशन पत्र अर्थात [illegible] का पर्चा दाखिल करने, वापस लेने के दिनांक तथा उप निर्वाचन दिनांक की सूची

1. नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का दिनांक व समय
15.02.2006 एव 16.02.2006 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 17.00 तक)

2. नाम निर्देशन पत्र की जाच का दिनांक
17 02 2006 (पूर्वान्ह 10 00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

3. मतदान का दिनांक व समय
02.03.2006 (पूर्वान्ह 08.00 बजे [illegible] अपरान्ह 17.00 बजे तक)

4. मतगणना का दिनांक व समय
04.03.2006 (पूर्वान्ह 08.00 [illegible] कार्य की समाप्ति तक)

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम एवं वार्ड सं0	नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने तथा जांच का स्थान	नाम निर्देशन पत्र की वापसी का दिनांक, समय व स्थान	चुनाव चिन्ह आवंटन की तारीख व समय	[illegible]
1	2	3	4	5	6	
1	धौलादेवी	मगरतोला -2 दियारखाली 2 दशौलाबडियार -2	क्षेत्र पंचायत कार्यालय	[illegible] 02 2006 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 13.00 बजे तक)	18 [illegible] 2006 अपरान्ह [illegible] 0 बजे से [illegible] की समाप्ति तक)	06 [illegible]
2.	लमगड़ा	ठानामटेणा 5 ध्यूलीरौतेला–3 बोरागांव–4 सिरसौड़ा–3 सिलफोड़ा–2 डोल–3 उज्यौला–2				
3.	ताकुला	काण्डे–3 ओलियागांव–3				
4.	ताड़ीखेत	चौना–3 मंगचौड़ा–2 मण्डलकोट 1				
5.	चौखुटिया	कांग–3 बगड़ी–5 बग्वालीखेत 1				
6.	स्याल्दे	कठोली–6 म0 मटेला–5 एराड़ीरजवार–2 नौगाव–2 टीका–2 बिसराखेत–5 ऐराड़ीबिष्ट–4 वल्मरा–4 पैठाना–5				

1	2	3	4	5	6	
7	भिकियासैण	झडकोट-2 हउली-5, 1, 4 कुपानौली-5 मौनली-4, 6 सूणी-2	क्षेत्र पंचायत कार्यालय	18-02-2006 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 13.00 बजे तक)	18-02-2006 (अपरान्ह 13.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	05 [illegible] 00
8.	हवालबाग	बसगाव-02 महेला-1 पणकोट-3 सिलानी-2 देवली-4				

संलग्निका

प्रारूप-22

प्रधान ग्राम पंचायत

प्रधान ग्राम पंचायत के उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन का [illegible] नाम निर्देशन [illegible] अर्थात [illegible] दाखिल करने, वापस लेने के दिनांक तथा उप निर्वाचन दिनांकों का सूची

1. नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का दिनांक व समय
   15.02.2006 एवं 16.02.2006 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 17.00 तक)
2. नाम निर्देशन पत्र की जांच का दिनांक
   17.02.2006 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
3. मतदान का दिनांक व समय
   02.03.2006 (पूर्वान्ह 08.00 बजे से अपरान्ह 17.00 बजे तक)
4. मतगणना का दिनांक व समय
   04.03.2006 (पूर्वान्ह 08.00 [illegible] कार्य की समाप्ति तक)

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने तथा जांच का स्थान	नाम निर्देशन पत्र की वापसी का दिनांक समय व स्थान	[illegible] चिन्ह आवंटन की तारीख व समय	
1.	लमगड़ा	सत्यू	क्षेत्र पंचायत कार्यालय	18-02-2006 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 13.00 बजे तक)	18-02-2006 (अपरान्ह 13.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	[illegible]
2.	हवालबाग	माट बाण				
3.	भैसियाछाना	बबुरियानायल				
4.	ताड़ीखेत	चौकुनी फल्द्वाड़ी				
5.	चौखुटिया	पैली				

ह0 [illegible]
जिला [illegible]
जिला निर्वाचन [illegible]

स्थान अल्मोड़ा
दिनांक 06 फरवरी 2006

कार्यालय, पंचास्थानि चुनावालय, देहरादून

जनपद देहरादून की ग्राम पंचायतों के सदस्यों के [illegible] पदों / स्थानों पर उप [illegible] फरवरी–मार्च, 2006 की विवरणी संलग्निका

06 फरवरी, 2006 ई०

संख्या 405/पंचा0 उप निवा0/फरवरी मार्च 06/2006 राज्य निर्वाचन आयोग [illegible] की अधिसूचना संख्या 103/रा0नि0आ0अनु0-2/635/2006 दिनांक [illegible] फरवरी 2006 के [illegible] कार्यक्रमानुसार जिला देहरादून की ग्राम पंचायतों के सदस्यों [illegible] के रिक्त पदों/स्थानों के [illegible] निम्न कार्यक्रमानुसार कराया जायेगा।

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	[illegible] आवंटन का दिनांक व समय	[illegible] का दिनांक व समय	[illegible]
1	2	3	4	5	
15-02-2006 एवं 16-02-2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	17-02-2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18-02-2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 13.00 बजे तक)	18-02-2006 ([illegible] बजे [illegible] की [illegible] तक)	[illegible]-03-2006 ([illegible] 8.00 बजे से [illegible] 17.00 बजे तक)	04 [illegible]

सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी [illegible] अधिकारी [illegible] शिक निर्वाचन क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे तथा [illegible] ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं तहसील कार्यालय के [illegible] कार्यक्रम को [illegible]

इन चुनावों में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो पूर्व [illegible] निर्देशित [illegible] के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने उनकी जांच नाम वापसी [illegible] आवंटन [illegible] मुख्यालय पर होगा और मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय [illegible]

ग्राम पंचायतों के उप निर्वाचन फरवरी मार्च 2006 हेतु ग्राम [illegible] रिक्त [illegible] संलग्निका

क्र0 सं0	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	रिक्त [illegible] का विवरण	[illegible] शिक निर्वाचन क्षेत्र सं0	[illegible]
1	2	3		5	
1.	डोईवाला	–	–	–	
2.	रायपुर	1. बड़ासी ग्रान्ट	सदस्य ग्राम पंचायत	04	[illegible]
		बड़ासी ग्रान्ट	सदस्य ग्राम पंचायत	08	[illegible]
		2. नाहीकलां	सदस्य ग्राम पंचायत	02	[illegible]
		3 क्यारा	सदस्य [illegible]	[illegible]	[illegible]
		4. चालंग	सदस्य ग्राम पंचायत	07	[illegible]

1	2	3	4	5	
2.	रायपुर	5. मोथरोवाला	सदस्य ग्राम पंचायत	07	[illegible]
		6. डाण्डा खुदानेवाला	सदस्य ग्राम पंचायत	01	[illegible]
3.	सहसपुर	7. कासवाली कोठरी	सदस्य [illegible]	[illegible]	[illegible]
		8. कोटड़ा संतौर	सदस्य ग्राम पंचायत	07	पि0वा0 [illegible]
		9. कोटड़ा कल्याणपुर	सदस्य ग्राम पंचायत	02	[illegible]
		10. चन्द्रोटी	सदस्य ग्राम पंचायत	06	[illegible]
4.	विकासनगर	11. शीशमवाला	सदस्य ग्राम पंचायत	01	[illegible]
		12. अम्बाड़ी	सदस्य ग्राम पंचायत	10	[illegible]
5.	कालसी	13. मुन्धान	सदस्य ग्राम पंचायत	01	[illegible]
		मुन्धान	सदस्य ग्राम पंचायत	02	[illegible]
		14. छगरेऊ	सदस्य ग्राम पंचायत	02	[illegible]
6.	चकराता	15. गुठाव	सदस्य ग्राम पंचायत	01	[illegible]

प्ररूप 21

(नियम [illegible])

जनपद देहरादून की ग्राम पंचायतों के सदस्य [illegible]
फरवरी–मार्च 2006

जिला मजिस्ट्रेट की नोटिस

06 फरवरी 2006 ई०

पंचायती राज नियमावली 14 के साथ पठित [illegible] तथा राज्य [illegible] उत्तरांचल द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार मैं पुनीत कंसल [illegible] देहरादून राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत दिनांक 05 [illegible]

1–संलग्निका में उल्लिखित ग्राम पंचायतों के [illegible] पद [illegible] लिये आमंत्रित करता हूँ।

2. नियम 14 के उपबन्धों तथा राज्य निर्वाचन [illegible] के अनुसार [illegible] निर्वाचन के लिए–

(1) नाम निर्देशन पत्र अर्थात् उम्मीदवारी का [illegible] स्थान [illegible]

(2) नाम निर्देशन पत्रों अर्थात् उम्मीदवारी के [illegible] स्थान [illegible]

(3) नाम निर्देशन पत्रों अर्थात् उम्मीदवारी के [illegible] स्थान [illegible]

(4) मतदान यदि आवश्यक हो का/के [illegible] संलग्निका [illegible] है निर्धारित करता हूँ।

जनपद देहरादून की क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों के [illegible] 2006 की विवरणी संलग्निका

06 फरवरी, 2006 ई०

संख्या 406/पंचा0 उप निर्वा0/फरवरी [illegible] की अधिसूचना संख्या 104/रा0नि0आ0प्रनु0–2/635/2006 [illegible] कार्यक्रमानुसार जिला देहरादून की क्षेत्र पंचायत चकराता [illegible] पद/स्थान के लिए उप निर्वाचन निम्न कार्यक्रमानुसार कराया जायेगा–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	[illegible] आवंटन का दिनांक व समय	[illegible] का दिनांक व समय	[illegible]
1	2	3	4	5	[illegible]
15—02—2006 एवं 16—02—2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	17—02—2006 पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18—02—2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 13.00 बजे तक)	18—02—2006 [illegible] तक)	02—03—2006 [illegible] 08.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	04 [illegible]

सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन [illegible] निर्वाचन क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे तथा [illegible] ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं तहसील कार्यालय [illegible] कार्यक्रम को [illegible]

इन चुनावों में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो [illegible] के सदस्यों के सभी रिक्त पदों/स्थानों के विषय में [illegible] चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर [illegible] की जाएगी।

क्षेत्र पंचायतों के उप निर्वाचन फरवरी मार्च 2006 [illegible] रिक्त [illegible]

संलग्नका

क्र0 सं0	विकासखण्ड	रिक्त पदों का विवरण	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5
1	चकराता	सदस्य क्षेत्र पंचायत	[illegible]	[illegible]

प्रारूप 21

(नियम—14)

जनपद देहरादून की क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों [illegible] निर्वाचन, [illegible] 2006

जिला मजिस्ट्रेट की नोटिस

08 फरवरी, 2006 ई0

पंचायती राज नियमावली 14 के साथ पठित [illegible] आयोग उत्तरांचल द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार मैं पुनीत कंसल [illegible] निर्वाचन [illegible] देहरादून राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत दिनांक 05 [illegible]

1 संलग्निका में उल्लिखित क्षेत्र पंचायत [illegible] संख्या [illegible] रिक्त सदस्य पद के निर्वाचन के लिये आमंत्रित करता हूँ।

2 नियम 14 के उपबन्धों तथा राज्य निर्वाचन [illegible] निर्देशों के अनुसार [illegible] का निर्वाचन के लिए—

(1) नाम निर्देशन पत्र अर्थात् उम्मीदवारी [illegible] स्थान [illegible]
(2) नाम निर्देशन पत्रों अर्थात् उम्मीदवारी [illegible] स्थान
(3) नाम निर्देशन पत्रों अर्थात् उम्मीदवारी [illegible] स्थान
(4) मतदान यदि आवश्यक हो का, के [illegible] है निर्धारित करता हूँ।

पुनीत [illegible]
जिला [illegible]
जिला निर्वाचन [illegible]।

स्थान - देहरादून
दिनांक - 06 फरवरी, 2006

कार्यालय, जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन [illegible]

अधिसूचना

06 फरवरी, 2006 ई0

पत्रांक 225 / त्रि0प0उ0नि0 / 2006 राज्य [illegible] संख्या 103 / रा0नि0आ0अनु0 2 / 835 / 2006, दिनांक 02 [illegible] जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) [illegible] का उप निर्वाचन नीचे निर्दिष्ट समय सारणी के [illegible]

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाच का दिनांक व समय	नाम [illegible] हेतु दिनांक व समय	[illegible]	[illegible] की [illegible]	[illegible]
1	2	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15 02 2006 एवं 16 02 2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	17 02 2006 पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18 02 2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 13.00 बजे तक)	[illegible] की समाप्ति तक)	[illegible] 2006 [illegible] अपराह्न 17.00 बजे तक)	[illegible]

सदस्य ग्राम पंचायत के रिक्त पदों / स्थानों का विवरण

क्र0सं0	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का [illegible]	[illegible]
1.	भटवाड़ी	1. नेताला	07
		2. कन्सेण	02
		3. कुरोली	02
2.	डुण्डा	1. मांगलीसेरा	05
		2. भेटियारा	01 व 05
		3. गोरसाड़ा	04

क्र0सं0	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम		रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत [illegible]
2.	डुण्डा	4.	डुल्डियाण	05
3.	चिन्यालीसौड़	1.	धारकोट	03
4.	नौगांव	1.	धराली	05
		2.	स्यालना	04
5.	मोरी	1.	कलाप	04
		2.	पैंसर	04

नोट-1 सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस [illegible] तथा सम्बन्धित गांव में मुनादी द्वारा [illegible]

2 नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री सम्बन्धित [illegible] अधिकारी द्वारा की जायेगी।

3 उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सशोधन) [illegible] 2002 तथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश पंचायत राज [illegible] 1994) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश [illegible] इन निर्वाचनों में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी [illegible]

4 इन पदों के विषय में नामांकन पत्र [illegible] तथा [illegible] का कार्य एवं सभी मतों की गणना [illegible]

[illegible]

06 फरवरी 2006

पत्रांक 226/त्रि0प0उ0नि0/2006 [illegible] 104/रा0नि0आ0अनु0 2/635/2006 दिनांक 02 [illegible] जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) [illegible] के रिक्त पदों/स्थानों का उप निर्वाचन निम्नांकित [illegible]

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	[illegible] आवंटन का दिनांक [illegible]	[illegible] दिनांक व समय	[illegible]
1	2	3			
15-02-2006 एवं 16-02-2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	17-02-2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18-02-2006 (पूर्वाह्न [illegible] बजे से अपराह्न 13 [illegible] बजे तक)	[illegible] तक)	[illegible] 2006 [illegible] 8.00 [illegible] बजे तक)	[illegible]

(आ) सदस्य, क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

क्र0सं0	क्षेत्र पंचायत का नाम	[illegible]
1.	चिन्यालीसौड़	16 [illegible]
2.	नौगांव	31 [illegible]

(ब) सदस्य जिला [illegible]

क्र0सं0	जिला पंचायत का नाम	विकासखण्ड का नाम	जिला पंचायत प्रादेशिक [illegible] का क्रमांक व नाम
1	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	02–नाल्ड कठूड

नोट–1 सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस [illegible] / तथा सम्बन्धित गांव में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी [illegible] जायेगी।

2. सदस्य, क्षेत्र पंचायत पद के नाम निर्देशन पत्रों की [illegible] सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय [illegible] सदस्य जिला पंचायत पद के नाम निर्देशन पत्रों [illegible] जिला पंचायत मुख्यालय [illegible] र्वाचन अधिकारियों / सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा [illegible]

3. क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के विषय में नामांकन पत्र [illegible] तथा चुनाव चिह्न आवंटन का कार्य एवं [illegible] के मुख्यालय पर की जायेगी।

4. जिला पंचायत के सदस्यों के सम्बन्ध में [illegible] तथा चुनाव चिह्न आवंटन का कार्य [illegible] की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर [illegible] की घोषणा जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी [illegible]

5. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा [illegible] उपान्तरण आदेश, 2001 तथा उत्तरांचल [उत्तर [illegible] निर्वाचन) नियमावली, 1994] अनुकूलन एवं [illegible] 2002 तथा तद्धीन [illegible] नामावलियों के अनुसार इन [illegible] आधारित एवं निर्देशित है

डी0 आर0 [illegible]
जिलाधिकारी / जिला [illegible] अधिकारी
(पंचा0), उत्त[illegible]

कार्यालय, जिलाधिकारी / [illegible]

अधिसूचना

06 फरवरी 2006

संख्या 146 / 21 अधि0 / उप0नि0, 06 [illegible] के [illegible] जिला पंचायतों के पद जो कि निर्वाचित प्रतिनिधियों [illegible] रिक्त हो गये हैं, तथा जो माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश [illegible] राज्य [illegible] आयोग, उत्तरांचल द्वारा अधिसूचना संख्या 104 / रा0नि0आ0 [illegible] 02 फरवरी 2[illegible] उप निर्वाचन कराये जाने के आदेश निर्गत करते हुए उप निर्वाचन [illegible] की गई है

अतः, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल द्वारा जारी [illegible] अनुपालन [illegible] सिंह नबियाल, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), [illegible] देता हूँ [illegible] सदस्य, क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य, जिला पंचायत के [illegible] स्थानों / पदों [illegible] निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारणी के अनुसार कराये जायें।

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	[illegible]	[illegible]
1	2	3	[illegible]	[illegible]
15–02–2006 एवं 16–02–2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	17–02–2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18–02–2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 13.00 बजे तक)	[illegible] (अपराह्न 13.30 बजे [illegible] कार्य की समाप्ति [illegible])	[illegible] अपराह्न 17.00 [illegible]

2 सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी [illegible] रिक्त पदों पर उप निर्वाचन से सम्बन्धित सभी ग्रामों / [illegible] तथा सम्बन्धित ग्रामों में इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार [illegible]

3 इस चुनाव में वही प्रकिया अप[illegible] जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र[illegible] निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने [illegible] जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा। [illegible] करने व नाम वापसी तथा चुनाव चिन्ह आ[illegible] की जायेगी किन्तु जिला पंचायत के निर्वा[illegible] जिला पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।

जिला चमोली के अन्तर्गत त्रिस्तरीय [illegible]

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	[illegible] विवरण	[illegible]
1	2	3	[illegible]
1	नारायणबगड़	सदस्य [illegible]	[illegible]

अधिसूचना

06 फरवरी, 2006 [illegible]

संख्या 147/21–अधि0/चप0नि0/06–[illegible] के ऐसे [illegible] तथा सदस्य, ग्राम पंचायतों के पद जो कि निर्वाचित [illegible] अन्य कारणों से रिक्त हो गये हैं तथा जो [illegible] निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल द्वारा अधिसूचना [illegible] के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने के आदेश निर्गत करने हु[illegible]।

अतः, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल द्वारा जारी [illegible] अधिसूचना [illegible] अनुपालन [illegible] सिंह नबियाल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी [illegible] में प्रधान ग्राम पंचायत तथा सदस्य ग्राम पंचायत [illegible] निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारणी के अनुसार कराये जायेंगे–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2			
15-02-2006 एवं 16-02-2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	17-02-2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18-02-2006 [illegible] अपराह्न 13.00 बजे तक)	[illegible]	[illegible] 2006 [illegible] 17.00 [illegible]

2–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी [illegible] पर उप निर्वाचन से सम्बन्धित सभी ग्रामों/वार्डों में [illegible] सम्बन्धित ग्रामों में इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार [illegible]

3–इस चुनाव में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी [illegible] प्रधान, ग्राम पंचायत तथा सदस्य, ग्राम पंचायत के सभी [illegible] उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन [illegible] क्षेत्र [illegible] पर होगी, तथा सभी मतपत्रों की गणना क्षेत्र पंचायत के [illegible]

[illegible]

जिला चमोली के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों [illegible]

प्रधान ग्राम पंचायतः–

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	रिक्त पदों का विवरण	[illegible]	[illegible]
1	2	3		
1.	दशोली	प्रधान ग्राम पंचायत	[illegible]	[illegible]
2.	जोशीमठ	प्रधान ग्राम पंचायत	[illegible]	[illegible]
3.	पोखरी	प्रधान ग्राम पंचायत	[illegible]	[illegible]
4.	घाट	प्रधान ग्राम पंचायत	[illegible]	[illegible]
5.	थराली	प्रधान ग्राम पंचायत	[illegible]	[illegible]
6	नारायणबगड़	प्रधान [illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

जिला चमोली के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों [illegible]

सदस्य ग्राम पंचायत –

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	रिक्त [illegible]	[illegible]
1	2		
1	कर्णप्रयाग	सदस्य [illegible]	[illegible]

1	2		
1	कर्णप्रयाग	सदस्य ग्राम पंचायत [illegible]	
2	दशोली	सदस्य [illegible]	
3	गैरसैंण	सदस्य [illegible]	
4	देवाल	सदस्य [illegible]	
5	जोशीमठ	सदस्य ग्राम प[illegible]	
6	नारायणबगड़	सदस्य [illegible]	

कार्यालय, जिलाधिकारी/जिला [illegible]

[जिले की (त्रिस्तरीय) क्षेत्र पंचायत एवं [illegible] उप निर्वाचन [illegible]

[illegible]

संख्या 248/प0नि0/उप निर्वाचन/2005-2006 [illegible] त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन माह जून 2005 में [illegible] जनपद के विकास खण्डों में क्षेत्र पंचायत के [illegible] कारणों से रिक्त हो गये हैं, ऐसे सभी रिक्त पदों पर [illegible] कराया जाना है। अतएव भारत के संविधान [illegible] पत्र संख्या 104/रा0नि0आ0अनु0-2/635 2006 दि[illegible] अमित सिंह नेगी जिलाधिकारी/जिला [illegible] जनपद के सभी विकास खण्डों के [illegible] विनिर्दिष्ट समय सारणी एवं संलग्न रिक्तियों के [illegible]

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	[illegible]	[illegible] का [illegible]	[illegible]
1	2	3	[illegible]	5	[illegible]
15-02-2006 एवं 16-02-2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	17-02—2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	(पूर्वाह्न [illegible] बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	[illegible]	[illegible] अपराह्न 17.00 [illegible] तक)	[illegible]

2—उपरोक्त समय सारणी के अनुसार [illegible]
विकास खण्ड मुख्यालयों पर सम्बन्धित [illegible]
अधिकारियों / सहायक रिटर्निंग ऑफीसर्स द्वारा कार्यवाही [illegible]

3 नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री [illegible]
विकास खण्ड मुख्यालयों पर सम्बन्धित निर्वाचन [illegible] नाम
निर्देशनों के लिये निर्धारित तिथियां [illegible]

4—क्षेत्र पंचायत सदस्यों के स्थानों / पदों [illegible] नाम
वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक का आवंटन [illegible]
वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग [illegible]

[illegible]

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत [illegible]

विकास खण्ड का नाम	रिक्त पदों का विवरण	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
बेरीनाग	क्षेत्र पंचायत सदस्य	[illegible]			
मुनस्यारी	क्षेत्र पंचायत सदस्य	[illegible]			

[illegible]

[जिले की (त्रिस्तरीय) ग्राम पंचायतों [illegible] फरवरी
[illegible]6

संख्या 249 / पं0नि0 / उप निर्वाचन [illegible] की
त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन माह जून 200[illegible] [illegible] पश्चात्
जनपद के विकास खण्डों में ग्राम पंचायतों के [illegible] पदधारियों
की मृत्यु, त्याग—पत्र, अविश्वास—पत्र अथवा [illegible] माननीय
न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों [illegible] अनुच्छेद
243 ट तथा राज्य निर्वाचन आयोग [illegible] 06,
दिनांक 02 फरवरी 2006 द्वारा [illegible] निर्वाचन
अधिकारी (पंचायत) पिथौरागढ़ एतद्द्वारा [illegible] पंचायतों के
सदस्य एवं ग्राम पंचायत के प्रधानों के रिक्त [illegible] एवं
संलग्न रिक्तियों के अनुसार सम्पादित कराये जाएंगे [illegible]

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय
1	2
15-02-2006 एवं 16-02-2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	17-02-2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2—उपरोक्त समय सारणी के अनुसार [illegible] के रिक्त पदों के निर्वाचन हेतु विकास खण्ड [illegible] रिटर्निंग ऑफीसर्स/सहायक निर्वाचन अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग [illegible]

3—नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री अधिसूचना [illegible] विकास खण्ड मुख्यालयों पर सम्बन्धित [illegible] निर्देशनों के लिये निर्धारित [illegible]

4 सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम [illegible] उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा [illegible] जायेगा। इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन [illegible]

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत [illegible]

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	[illegible]	[illegible]
1	2		
1	पिथौरागढ़ (विण)	[illegible]	[illegible]
2.	मूनाकोट	प्रधान ग्राम [illegible] सदस्य ग्राम [illegible]	[illegible]
3.	कनालीछीना	प्रधान ग्राम [illegible] सदस्य ग्राम [illegible]	[illegible]
4.	डीडीहाट	सदस्य ग्राम [illegible]	[illegible]
5.	धारचूला	प्रधान ग्राम [illegible] सदस्य ग्राम [illegible]	[illegible]
6	मुनस्यारी	सदस्य ग्राम [illegible]	[illegible]
7	बेरीनाग	प्रधान ग्राम [illegible] सदस्य ग्राम [illegible]	[illegible]
8.	गंगोलीहाट	प्रधान ग्राम [illegible]	[illegible]

1	2
8 गंगोलीहाट	[illegible]

कार्यालय, [illegible]

[illegible]

पत्रांक 247/पचा0चुना0/24/उप [illegible] संख्या 103/रा0नि0आ0अनु0–2/635/2005 [illegible] की ग्राम पंचायतों के रिक्त स्थानों/पदों पर उप [illegible] सदस्यों के रिक्त स्थानों, जो किसी [illegible] अधिसूचित किया गया है [illegible] नैनीताल जिले के अन्तर्गत [illegible] से बाधित न हो [illegible]

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम [illegible]
1	2	[illegible]
15.02.2006 एवं 16.02.2006 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक)	17.02.2006 पूर्वाह्न [illegible] बजे [illegible] की समाप्ति [illegible]	[illegible]

जिला नैनीताल के ग्राम पंचायतों [illegible] की बिक्री, नामांकन पत्रों की प्राप्ति, नामांकन [illegible] कार्यवाहियां निम्नलिखित स्थानों पर की [illegible]

क्र0 सं0	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	[illegible]	नामांकन [illegible] की [illegible], प्रतीक [illegible] का स्थान	[illegible] का स्थान
1	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	विकास खण्ड (निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र) ओखलाकाण्डा, रामगढ़, रामनगर, कोटाबाग धारी के अन्तर्गत पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जहां सदस्य ग्राम पंचायत/ प्रधान ग्राम पंचायत के पद रिक्त हैं (परिशिष्ट 'क')	[illegible]	[illegible] विकास खण्ड, [illegible] मुख्यालय	[illegible]/क्षेत्र [illegible] मुख्यालय

उपरोक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में 10 [illegible] का विशिष्ट विवरण (परिशिष्ट 'क') पर विकास [illegible]।

इन निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनायी [illegible] ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत के स्थानों के [illegible] तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य, क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय [illegible] गणना का कार्य भी इन्हीं स्थानों पर होगा।

निर्वाचन कार्यक्रम को जनसाधारण [illegible] मुनादी तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तथा तहसील [illegible] प्रकाशन किया जाय।

परिशिष्ट [illegible]

ग्राम पंचायत सदस्यों/प्रधानों के रिक्त [illegible]

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	[illegible]	[illegible] संख्या व [illegible]
1	2	[illegible]	4
1.	ओखलकाण्डा	1–[illegible]	[illegible]
		2–[illegible]	[illegible]
		3–[illegible]	[illegible]
2.	रामनगर	1–[illegible]	[illegible]
3.	धारी	1–[illegible]	[illegible]
		2–[illegible]	[illegible]
4.	रामगढ़	1–[illegible]	[illegible]
5.	कोटाबाग	[illegible]	[illegible]
		2–[illegible]	[illegible]
		3–[illegible]	[illegible]

ग्राम पंचायत के प्रधानों [illegible]

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4
1.	ओखलकाण्डा	[illegible]	[illegible]
2.	धारी	[illegible]	[illegible]

[illegible]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 हिन्दी गजट/72–[illegible]
मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय [illegible]

[illegible] 10/93
([illegible])

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 [illegible] फाल्गुन [illegible]

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, [illegible]

[illegible]

पत्रांक 1414 / विज्ञापन / 2005–[illegible] की धारा [illegible] द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद, [illegible] दिनांक 24–04–1993 के पृष्ठ संख्या 513 पर प्रकाशित [illegible] नियमावली में निम्नलिखित [illegible] का निश्चय किया है। संशोधित नियमावली का दैनिक [illegible] प्रकाशन कराकर 30 दिन की अवधि के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव [illegible] होने पर नगर पालिका बोर्ड के विशेष प्रस्ताव सं0 10 [illegible] 04–05 से लागू किये जाने का तथा शासकीय गजट में प्रकाशन [illegible]।

[illegible]

वर्तमान में प्रचलित दरें	संशोधित नियमावली
4. पूर्ववर्ती उपविधि के अधीन प्रदत्त प्रत्येक अनुज्ञा के लिए प्रति वर्ग फुट या उसके किसी भाग के लिए रु0 2/– वार्षिक की फीस इस प्रकार अनुज्ञा विज्ञापन घेरे गये स्थान के लिए यदि विज्ञापन निजी सम्पत्ति भवन पर लगाये जाते हैं तो उपर्युक्त दर का आधा लिया जायेगा।	[illegible]

संशोधित नियमावली

7. [illegible] प्रति [illegible]

8. [illegible] गाईड या [illegible] अथवा [illegible] से [illegible] रु0 [illegible] प्रति [illegible]

9. [illegible] विज्ञापन 200/– प्रति [illegible]

नियमावली का शेष भाग पूर्ववत् रहेगा। [illegible] किसी प्रकार का विज्ञापन किया जाता है, उसकी अनुमति एवं दर [illegible] अधिशासी अधिकारी, [illegible] में निहित रहेगा।

[illegible]

अधिशासी अधिकारी,

[illegible] ऋषिकेश।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 हिन्दी गजट/72–भाग 8–2006 [illegible] (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, [illegible] रुड़की।